162. The Director of Civil Supplies,
H.P. Simla.

30/8

Registered No. E. P.-97 रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 29 अगस्त, 1955

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, दिनांक 20 अगस्त, 1955

सं० एल० ए० **109-145/54.**—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स एक्ट, 1955 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 6 अगस्त, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व सामान्य की सूचना के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

27-Gaz—29-8-55—250. (209) Price As. -/2/-

अधिनियम सं० 6, 1955

हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954

वैयक्तिक वनों के संरक्षण (Conservation of Private Forests) का

अधिनियम

यह भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. अधिनियम कुछ भूमियों (certain lands) पर प्रवृत्त (apply) न होगा.— यह अधिनियम निम्न प्रकार की भूमि में से किसी पर भी प्रवृत्त न होगा।

(क) जो शासन में निहित हो, या

(ख) जो इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट, 1927 (नं० 16 औफ 1927) के अधीन आरक्षित या सुरक्षित वन हो।

3. परिभाषाएं.—जब तक कि विषय या संदर्भ (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) "कलेक्टर" के अन्तर्गत है, कोई भी ऐसा अधिकारी, जिसे राज्यशासन ने इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्य सम्पादित करने के लिए शक्ति प्रदान की हो;

(2) "नियन्त्रित वन (Controlled Forest)" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जिस के सम्बन्ध में धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो;

(3) "सम्पदा" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है—

(क) जिस के लिए भिन्न (separate) अधिकार अभिलेख बनाया गया हो, या

(ख) जिसका भूराजस्व अलहदा निर्धारित हुआ हो या निर्धारित हुआ होता यदि भूराजस्व उन्मोचित, अभिसंधित या निष्कीत न हुआ होता, या

(ग) जिसे राज्य शासन सामान्य नियम या विशेष आदेश द्वारा सम्पदा घोषित करे ;

(4) "फीस" के अन्तर्गत वन-बन्दोबस्त या माल-बन्दोबस्त या प्रथा या रिवाज के अधीन राज्यशासन को देय ऐसी फीस भी है, जिसे चुकाने के प्रतिबन्धाधीन विलीनीकरण (merger) होने से पूर्व अनुकलित राज्यों (integrating States) द्वारा वृक्ष गिराने और बेचने की अनुमति दी जाती थी ;

(5) "वन" के अन्तर्गत ऐसी कोई भी भूमि है, जो अधिकार-अभिलेख में वन के रूप में अभिलिखित हो ;

(6) "वन-अपराध (forest offence)" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके अन्तर्गत बनाऐ गए किसी भी नियम के अधीन दंडनीय हो ;

(7) "वन-अधिकारी (Forest Officer)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्यशासन इस अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रयोजन को पूरा करने के लिए नियुक्त करे या ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन वन-अधिकारी (Forest Officer) से किया जाना अपेक्षित हो ;

(8) "वन-बन्दोबस्त अधिकारी (Forest Settlement Officer)" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो राज्यशासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन वन-बन्दोबस्त अधिकारी (Forest Settlement Officer) के कर्त्तव्य सम्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;

(9) "भूमिपति (landlord)" का तात्पर्य ऐसी सम्पदाओं या धारणावधि (tenure), जिसमें कोई वन या परती भूमि (wasteland) स्थित हो, के ऐसे स्वामी से है, जो उक्त वन या परती भूमि (wasteland) में किसी भी अधिकार-प्रयोग का हकदार हो ;

(10) "अधिसूचना" का तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(11) "अधिसूचित वन" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जो धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विशिष्ट हो ;

(12) "स्वामी" के अन्तर्गत है, पट्टाधारी या जागीरदार, पट्टेदार (lessee), कब्जा रखने वाला बन्धक ग्राही, मैनेजर (manager), ट्रस्टी (trustee), सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त आदाता (receiver appointed by a competent court) या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पालक समिति (Court of Wards) जिस का अधीक्षण

या प्रभार, उक्त पालक समिति के अधीन हो ;

(13) "वैयक्तिक वन (private forest)" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जो शासन की सम्पत्ति न हो या जिस पर राज्य को स्वामित्व के अधिकार (proprietary rights) न हों या जिस की समस्त या आंशिक वन उपज (forest produce) का राज्य हकदार न हो ;

(14) "विनिहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिहित से है ;

(15) "अधिकार-धारी (right holder)" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे प्रथा (custom) द्वारा अपने घरेलू और कृषि के प्रयोजनों के लिए वन में या वन से इमारती लकड़ी (timber), ईंधन या अन्य वन उपज काटने या इकट्ठा करने या हटाने का और वन में अपने पशु चराने का अधिकार प्राप्त हो ;

(16) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम से है ;

(17) "राज्यशासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है ;

(18) "इमारती लकड़ी (timber)" के अन्तर्गत हैं, ऐसे वृक्ष जो गिर चुके हों या गिरा दिए गए हों और समस्त लकड़ी, जो चाहे किसी भी प्रयोजनार्थ काटी गई हो या तराशी गई हो या खोखली की गई हो या न की गई हो ;

(19) "वृक्ष" के अन्तर्गत है, इमारती लकड़ी (timber), और ईंधन के वृक्ष (fuel trees), खजूर (palms), बांस, ठुंठ (stumps), घनी झाड़ी (brush-wood) और बेंत ;

(20) "परती भूमि (wasteland)" का तात्पर्य किसी भी ऐसी भूमि से है, जो राज्य-शासन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ परती भूमि (wasteland) घोषित करे ;

(21) "कर्मकारी योजना (working plan)" का तात्पर्य वन के प्रबन्ध और प्रतिपादन (management and treatment) की किसी भी लिखित योजना से है ;

(22) "वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और आगामी वर्ष के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

(23) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन का प्रयोग इस अधिनियम में हुआ है किन्तु परिभाषा नहीं दी गई है, और इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट, 1927 (Indian Forest Act, 1927) में परिभाषा दी गई है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्दों को क्रमशः उस अधिनियम में दिया गया है ।

अध्याय 2

अधिसूचित वन के प्रबन्ध और उस में अधिकार-प्रयोग के सम्बन्ध में

सामान्य उपबन्ध

4. कुछ कामों की मनाही करने की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो सम्बन्धित वन-अधिकारी (Forest Officer) द्वारा आरोपित किए जाएं, ऐसे वैयक्तिक वन में जो विशिष्ट किया जाए, किसी भी वृक्ष को काटने, गिराने, वृक्ष के चारों ओर खाई खोदने (girdling), कलम करने (lopping), जलाने, उसकी छाल या पत्ते उखाड़ने या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुंचाने (damaging), वृक्ष या इमारती लकड़ी (timber) के चिन्हों में जालसाजी करने या उन्हें बिगाड़ने की मनाही कर सकेगा।

5. वैयक्तिक वनों का सीमांकन.—वन अधिकारी ऐसे प्रत्येक वैयक्तिक वन में, जिस के सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के मध्य राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त वन का सीमाकन करेगा और राज्य शासन के व्यय से सीमा की रेखा पर आवश्यक जगहों में, आवश्यक संख्या में और आवश्यक प्रकार के सीमा स्तम्भ लगाएगा।

6. वैयक्तिक वनों या उनके भाग में इस अधिनियम के अनुसार प्रयोग किए जासकने वाले अधिकार.—धारा 4 के अधीन अधिसूचित वन में भूमिपति के, और तत्काल प्रचलित किसी भी विधि के अन्तर्गत तैयार किए गए किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी अन्य व्यक्ति के वन में वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज काटने, इकट्ठा करने या हटाने या पशु चराने के अधिकार इस अधिनियम में या इस के अन्तर्गत बनाए गए उपबन्धों के उल्लंघन में प्रयोग नहीं किए जाएंगे।

7. इमारती लकड़ी (timber) इत्यादि काटने, इकट्ठा करने या हटाने तथा कृषि प्रयोजनार्थ वनों के कृष्यकरण के अधिकारों पर आयन्त्रण.- भूमि और आर्द्रता (soil and moisture) के संरक्षण तथा सार्वजनिक हित की आवश्यकता के विचार से—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो किसी अधिसूचित वन से वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन काटने, इकट्ठा करने या हटाने का अधिकारी है, केवल उसी दशा में, जब इस सम्बन्ध में वन-अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र (permit) दिया गया हो और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो वन-अधिकारी आरोपित करे, वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन काटेगा, इकट्ठा करेगा या हटाएगा अन्यथा नहीं;

परन्तु यह खंड ऐसे वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन पर प्रवृत न होगा, जिस की स्वामी अधिकारधारी को घरेलू प्रयोजनों, कृषि के उपकरण बनाने या शवदाह के लिये आवश्यक हो ;

(ख) ऐसा व्यक्ति, जो अधिसूचित वन में कृषि प्रयोजनार्थ किसी भूमि के कृष्यकरण का अधिकारी है और अधिसूचित बन का स्वामी है, उस में किसी भी भूमि का कृष्यकरण वन अधिकारी की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति लेकर ही और ऐसी शर्तों के अनुसार करेगा जो वन अधिकारी आरोपित करे अन्यथा नहीं ।

8. वृक्षों की ऊंचाई जिस पर और बांस के डंठल (bamboo culms) की आयु जब वे काटे जा सकते हैं.—कोई भी व्यक्ति, जिस के पास गिराने का अनुज्ञापत्र (felling permit) हो, वैयक्तिक वन में किसी भी वृक्ष को धरातल छः इंच से अधिक ऊंचाई पर या एक वर्ष से कम आयु के किसी भी बांस के डंठल (bamboo culm) को नहीं काटेगा ।

9. कुछ व्यक्ति (certain persons) इमारती लकड़ी (timber) नहीं बेचेंगे या हस्तांतरित नहीं करेंगे.—कोई भी व्यक्ति, जो भूमिपति के प्राधिकाराधीन कार्य सम्पादन करने वाला व्यक्ति, या इस अधिनियम के उपबन्धों या इस के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी (officer) न हो, किसी भी अधिसूचित वन में इमारती लकड़ी (timber) काटने के अधिकार-प्रयोग से प्राप्त इमारती लकड़ी (timber) नहीं बेचेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा करेगा और उस के द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक काटी गई इमारती लकड़ी (timber) राज्य शासन ारा जब्ती के योग्य होगी ।

10. भूमिपति के या भूमिपति द्वारा मांग प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों (persons claiming through the landlord) के इमारती लकड़ी (timber) या वन उपज काटने या हटाने के अधिकार पर आयन्त्रणा.—भूमिपति या पट्टेदार (lessee) या भूमिपति द्वारा मांग प्रस्तुत करने वाला (claiming through the landlord) अन्य व्यक्ति किसी भी अधिसूचित वन से कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज नहीं काटेगा या नहीं हटायेगा या किसी भी व्यक्ति को वैसा करने की अनुमति नहीं देगा, जिस से किसी भी व्यक्ति का ऐसा अधिकार, प्रभावित हो जाए जिसे उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिबन्धाधीन किसी भी प्रथा या रिवाज (custom or usage) के अन्तर्गत उपयोग कर सकता हो ।

11. वृक्ष गिराने के लिए लाइसेंस देना और वृक्षों की बिक्री के लिये फीस.—(1) भूमिपति या स्वामी के प्रार्थनापत्र देने पर वन अधिकारी भूमि और आर्द्रता के संरक्षण की आवश्यकता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के साथ, जो वह उचित समझे वृक्ष गिराने के लिये अनुज्ञापत्र दे सकेगा और उसके पश्चात किसी भी भूमिपति या स्वामी के लिये लाईसेंस की शर्तों के अनुसार वृक्ष गिराना वैध होगा ।

(2) वृक्ष बेचने वाला भूमिपति या स्वामी बेचने की कीमत का 15 प्रतिशत राज्यशासन को फीस के रूप में चुका देगा और जब तक फीस नहीं चुकाई जाती तबतक इमारती लकड़ी (timber) वन में से हटाई नहीं जाएगी ।

(3) स्वामी स्वेच्छानुसार या तो वन-विभाग द्वारा या स्वयं किसी ठेकेदार (contractor) को वृक्ष बेच सकेगा। वृक्ष स्वयं बेचने की अवस्था में स्वामी को उपरोक्त विनिहित फीस के रूप में विनिहित सिद्धांतों के अनुसार वृक्षों की आगणित कीमत का 15 प्रतिशत चुकाना अनिवार्य होगा।

12. कर्मकारी योजना (working plan) की तैयारी.—(1) वन-अधिकारी (Forest Officer) अधिसूचित वन के किसी भी स्वामी को वन के प्रबन्ध के लिए विनिहित रीति से एक विशिष्ट अवधि के भीतर कर्मकारी योजना (working plan) तैयार करने का निदेश दे सकेगा।

(2) अधिसूचित वन का स्वामी कर्मकारी योजना (working plan) या तो स्वयं तैयार कर सकेगा या अपनी ओर से कर्मकारी योजना (working plan) तैयार करने के लिए वन-अधिकारी से प्रार्थना कर सकेगा।

(3) वन-अधिकारी ऐसी प्रत्येक योजना पर, जो उसके पास भेजी गई हो, विचार करने के बाद एक लिखित आदेश द्वारा उक्त कर्मकारी योजना (working plan) को स्वीकार कर सकेगा या जैसा वह आवश्यक समझे उस प्रकार उस में संपरिवर्तन कर सकेगा या उसको किसी दूसरी योजना द्वारा स्थानापन्न कर सकेगा।

(4) यदि उक्त अधिसूचित वन का कोई स्वामी उपधारा (1) में विशिष्ट अवधि के भीतर कर्मकारी योजना (working plan) प्रस्तुत नहीं करता है या उपधारा (2) में विशिष्ट अवधि के भीतर अपनी ओर से एक कर्मकारी योजना (working plan) बनाने की प्रार्थना वन-अधिकारी से नहीं करता है तो वन-अधिकारी उक्त वन के सम्बन्ध में एक कर्मकारी योजना (working plan) तैयार कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) और (4) के अधीन कर्मकारी योजना (working plan) की तैयारी का व्यय, उन वनों की दशा में जिन से लाभ प्राप्त हो, स्वामी द्वारा, और उन वनों की दशा में, जो घाटे पर चल रहे हों, शासन द्वारा वहन किया जाएगा। जहां व्यय स्वामी द्वारा देय हो, उस दशा में, जब भूमिपति वन-अधिकारी द्वारा विशिष्ट अवधि में उसे नहीं चुका पाता है, उक्त व्यय उस से भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जा सकेगा।

13. वन का प्रबन्ध.—ऐसे वन का प्रबन्ध, जिस के लिए कोई अनुमोदित कर्मकारी योजना (working plan) हो, उक्त कर्मकारी योजना (working plan) में दिये गए विनिधान (prescription) के अनुसार ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग (trained staff) की सहायता से, जो कर्मकारी योजना (working plan) में विनिहित किया जाए, और वन अधिकारी के अधीक्षणाधीन (under the superintendence of) स्वामी द्वारा स्वयं किया जायगा। वन-अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कर्मकारी योजना (working plan) में दिए गए विनिधान (prescription) से विचलन (deviate) करने की अनुमति न होगी।

14. वैयक्तिक वन से इमारती लकड़ी (timber) हटाना और बिरोज़ा (resin) निकालना और हटाना.—(1) पूर्ववर्ती धाराओं में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर कोई भी वृक्ष, जिस पर

निशान न लगाया गया हो और कोई भी इमारती लकड़ी (timber), जिस पर वन अधिकारी ने हथौड़े का निशान (hammer-mark) न लगाया हो, वैयक्तिक वन से काटी या हटाई न जाएगी और कोई भी वृक्ष या उसका भाग या इमारती लकड़ी (timber) वैयक्तिक वन से किसी भी नदी, सरिता या जल में तब तक नहीं बहाई जाएगी जब तक, कि उस पर सम्पत्ति चिन्ह (property mark or marks) न लगा हो या न लगे हों और उसके लिए इस सम्बन्ध में दिया गया अनुज्ञापत्र प्राप्त न कर लिया गया हो और पहले उसकी फीस न चुका दी गई हो :

परन्तु सर्वदा यह प्रतिबन्ध रहेगा कि भूमि से कोई भी वृक्ष या उस का भाग या इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन भूस्थल से तब तक नहीं ले जाया जाएगा, जब तक कि उस के लिये वन-अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक चालान ऐसे आयन्त्रणों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वन अधिकारी उस के ले जाये जाने के समय जांच पड़ताल (check) और उस समय के सम्बन्ध में, जिस के मध्य उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन की गति (movement) स्थगित रहेगी, आरोपित करना आवश्यक समझे, प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) वैयक्तिक वनों से बिरोजा (resin) केवल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निकाला जायगा या हटाया जायगा या ले जाया जायगा, अन्यथा नहीं।

15. राज्य शासन को देय फीसों की वसूली.—(1) जहां किसी वैयक्तिक वन से वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन की बिक्री के लिए धारा 11 के अधीन लाइसैंस दिया जाता है उस अवस्था में लाइसेंसदार को तब तक उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन हटाने की अनुमति नहीं दी जायगी, जब तक उस ने राज्य शासन को देय समस्त विनिहित फीसें पूर्ण रूप से पहले न चुका दी हों।

(2) उपधारा (1) में वर्णित उक्त वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन हटाने के लिये ऐसे प्रतिबन्धों (conditions) का पालन अनिवार्य होगा, जिन्हें आरोपित करना वन-अधिकारी आवश्यक समझे।

16. पुनः संविदा (further contracts) करने की मनाही.—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्वामी द्वारा किसी भी व्यक्ति से किया गया संविदा, जिस से उक्त व्यक्ति को वैयक्तिक वन से वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन काटने, इकट्ठा करने या हटाने का अधिकार दिया हो, शून्य होगा, जब तक स्वामी ने उस से पूर्व धारा 11 के अधीन इस सम्बन्ध में लाइसैंस न ले लिया हो।

17. पशु चराने के अधिकार पर आयंत्रण.—कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रथागत अधिकार (customary right) या अन्य अधिकार के प्रयोग में किसी भी अधिसूचित वन में ऐसा कोई भी पशु न चराएगा या नहीं चरवाएगा जिस का वह स्वामी न हो।

18. इस अध्याय के अधीन अपराध और उन अपराधों की अन्वीक्षा (trial) और उन के लिये शास्तियां.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्याय के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है या वन-अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत कर्मकारी योजना (working plan) के विनिधान

(prescription) से विचलन (deviate) करता है, एक हजार रुपये से अनधिक अर्थदन्ड या तीन महीने से अनधिक साधारण कारावास दन्ड या दोनों का भागी होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेक्षणीय (triable) होंगे और इस धारा के अधीन कार्यवाहियां तभी चलाई जा सकेंगी जब ऐसे अधिसूचित वन का, जिसके सम्बन्ध में अपराध होने का आरोप लगाया गया हो, भूमिपति या उक्त अधिसूचित वन का कोई भी अधिकार-धारी (right-holder) या वन अधिकारी या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी शिकायत (complaint) करे।

(3) जब कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिये अपराधी ठहराया गया हो (is convicted) तो ऐसा कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज, जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, जब्त हो सकेगी। यदि उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज उसने नष्ट कर दी हो, या बनल दी हो या अन्यथा व्यवस्थापित कर दी हो तो उसका मूल्य उस से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा, जैसे कि उपधारा (1) के अधीन उस पर आरोपित अर्थ दन्ड।

(4) इस धारा के अधीन जब्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज ऐसी रीति से व्यवस्थापित कर दी जाएगी जो कलेक्टर नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, निर्दिष्ट करे।

अध्याय 3

नियन्त्रित वन (Controlled Forest)

19. नियंत्रित वन की संरचना करने की शक्ति (Power to constitute a Controlled Forest).—(1) यदि राज्यशासन का किसी भी समय यह समाधान हो कि अध्याय 2 के उपबन्ध किसी भी अधिसूचित वन का उचित आरक्षण करने में पर्याप्त नहीं हैं या पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं या यह कि सार्वजनिक हित के लिए किसी भी वैयक्तिक वन में, चाहे वह अधिसूचित हो या न हो, इस अध्याय के उपबन्ध प्रवृत करना आवश्यक है तो वह उक्त वन की नियन्त्रित वन के रूप में संरचना यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार कर सकेगा।

(2) यदि वन-अधिकारी (Forest Officer) की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि ऐसी किसी भी परती भूमि (waste land), जिसका क्षेत्रफल पचास एकड़ से कम न हो और जो सात वर्ष से अधिक अवधि तक अकृष्ट पड़ी रही हो तथा जो वनारोपण (afforestation) के लिए उपयुक्त हो और यह कि उक्त भूमि के स्वामी की उस में कृष्य-फसलें (agricultural crops) उगा कर उसकी कृषि करने की या वन-अधिकारी (Forest Officer) के समाधानानुसार उसे औद्यानिकी (horticulture) के लिए प्रयोग में लाने की या उसमें वनारोपण करने की इच्छा नहीं है या वह वैसा करने में असमर्थ है तो राज्यशासन अपना यह समाधान करने के पश्चात कि

उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ या औद्यानिकी के लिये प्रयोग करना वनारोपण से अधिक लाभप्रद नहीं हो सकता, उक्त परती भूमि (waste land) की संरचना यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार नियन्त्रित वन के रूप में कर सकेगा।

20. राज्यशासन द्वारा अधिसूचना.—(1) जब कभी भी राज्यशासन द्वारा किसी भी क्षेत्र को, चाहे वह वैयक्तिक वन हो या परती भूमि हो, नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करना प्रस्तावित हो तो राज्यशासन एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें—

(क) यह घोषणा होगी कि उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करना प्रस्तावित किया जाता है;

(ख) जहां तक ठीक हो सके, उक्त क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं निर्दिष्ट होंगी, और

(ग) यह कथन होगा कि कोई भी भूमिपति, जिसके स्वत्वों पर उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करने से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, ऐसी अवधि में, जो अधिसूचना में वर्णित होगी और जो अधिसूचना के दिनांक से छः मास से कम न होगी, कलेक्टर को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो नियन्त्रित वन संरचित किया जा रहा हो, लिखित आपत्ति दे सकेगा।

(2) उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि की तामील भूमिपति पर विनिहित रीति से की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—खंड (ख) के प्रयोजनार्थ क्षेत्र की सीमाओं का वर्णन सड़कों, नदियों, पुलों (ridges) या अन्य अच्छी प्रकार से जाने बूझे या शीघ्र ही पहचाने जाने वाले सीमाबन्धों (boundaries) से करना पर्याप्त होगा।

21. आपत्तियों की सुनवाई.—(1) कलेक्टर विनिहित रीति से ऐसी कोई भी आपत्ति सुनेगा, जो उसे धारा 20 के खण्ड (ग) के अधीन भेजी गई हो, और उस पर एक आदेश—

(क) उक्त आपत्तियों को रद्द करते हुए देगा; या

(ख) यह निदेश देते हुए देगा कि उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन संरचित करने का प्रस्ताव या तो उक्त समस्त क्षेत्र के या उस के ऐसे भाग के सम्बन्ध में, जो आदेश में विशिष्ट किया जाए, समाप्त कर दिया जाएगा।

(2) कोई भी ऐसा भूमिपति, जो उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर के या किसी भी वन-अधिकारी के या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्यतया या विशेषतया अधिकृत अन्य व्यक्ति के दिए गए आदेश से पीड़ित होता है, राज्यशासन को पुनरावृत्ति का एक प्रार्थनापत्र (revision application) दे सकेगा, जिसका आदेश अन्तिम होगा।

(3) यदि धारा 20 के खंड (ग) के अधीन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती या यदि प्रस्तुत हुई हो और इस धारा के उपबन्धों के अधीन उसका अन्तिम निर्णय हो गया हो तो राज्यशासन, जहां उसका यह विचार हो कि धारा 20 के अधीन जारी की गई अधिसूचना

में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र नियंत्रित वन संरचित कर दिया जाना चाहिए तो वह—

(क) यह घोषित करते हुए कि उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन संरचित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) जहां तक ठीक हो सके उस क्षेत्र की स्थिति और सीमा निर्दिष्ट करते हुए ; और

(ग) उक्त सीमाओं में स्थित किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र पर या किसी भी वन उपज में या वन-उपज पर भूमिपति से अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कथित अधिकारों और उन के अस्तित्व, प्रकार और सीमा (existence, nature and extent) की परिपृच्छा और उन का निश्चय करने के लिए और इस अध्याय के अनुसार उनका प्रतिपादन(to deal with) करने के लिए एक बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा।

(4) उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त वन-बन्दोबस्त अधिकारी विनिहित रीति से भूमिपति को उस खंड में निर्दिष्ट परिपृच्छा (enquiry) में सुनवाई का मौका देगा।

22. वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उद्घोषणा.—जब धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, वन-बन्दोबस्त अधिकारी उस में स्थित क्षेत्र के पड़ोसी कस्बे और ग्राम (town and village) में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा, जिसमें—

(क) जहां तक ठीक हो सके प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति (situation) और सीमाएं निर्दिष्ट होंगी;

(ख) उन परिणामों का व्याख्यात्मिक विवरण होगा, जो यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त क्षेत्र के नियन्त्रित वन संरचित कर दिये जाने पर भावी (ensue) होंगे ; और

(ग) एक अवधि नियत की जाएगी, जो उक्त उद्घोषणा के दिनांक से छः से मास कम न होगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से, जो धारा 21 की उपधारा (3) में वर्णित भूमिपति के अधिकारों से अन्य कोई भी अधिकार मांगता हो, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यक्ति उक्त अधिकार का प्रकार और उस सम्बन्ध में मांगे गए प्रतिधन (यदि कोई हो) की राशि और ब्योरे निर्दिष्ट करके उक्त अवधि के मध्य वन-बन्दोबस्त अधिकारी को या तो एक लिखित नोटिस दे या उसके सन्मुख उपस्थित हो और उक्त विषयों के सम्बन्ध में विवरण दे।

23. वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा परिपृच्छा (enquiry).—वन बन्दोबस्त अधिक ऐसे समस्त विवरणों को, जो धारा 22 के अधीन दिये गए हों, लिख लेगा और किसी सुविधायुक्त स्थान (convenient place) में उस धारा के अधीन उचित रूप से प्रस्तुत समस्त मांगों के सम्बन्ध में और भूमिपति के अधिकारों से अन्य धारा 21 की उपधारा (3) में वर्णित और धारा 22 के अधीन मांगे न गए अधिकारों के अस्तित्व के सम्बन्ध में परिपृच्छा करेगा, जहां तक कि

वे शासन के अभिलेखों और ऐसे व्यक्तियों के, जिन का उन से परिचित होना सम्भावित हो, साक्ष्य से निश्चित किए जा सकते हों।

24. वन-बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियां.— उक्त परिपृच्छा के लिए वन-बन्दोबस्त अधिकारी निम्नलिखित शक्तियां प्रयोग में ला सकेगा, अर्थात्—

(क) किसी भी भूमि पर स्वयं प्रवेश करने की या किसी भी अधिकारी को उस पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकार देने की और उसका मापन करने, सीमांकन करने और नक्शा बनाने की शक्ति; और

(ख) वादों की अन्वीक्षा (trial) में दीवानी न्यायालय की शक्तियां।

25. चरागाह (pasture) या वन-उपज (forest produce) के अधिकारों की मांगों पर आदेश.—चरागाह (pasture) या वन-उपज (forest-produce) के अधिकारों की मांग प्रस्तुत होने की दशा में वन-बन्दोबस्त अधिकारी धारा 26 और धारा 32 के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधीन उनको सम्पूर्णतया या अंशरूप में स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए एक आदेश देगा।

26. वह रीति जिसके अनुसार वन-बन्दोबस्त अधिकारी को आदेश देने चाहिए.— (1) धारा 25 के अधीन आदेश देते समय वन-बन्दोबस्त अधिकारी—

(क) अधिकार-धारियों (right-holders) की एक सूची तैयार करेगा, जिस में प्रत्येक के पिता का नाम, जाति, निवासस्थान और काम धन्धे का ब्योरा होगा;

(ख) यह निश्चय करेगा कि धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित वन की इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन उपज का कितना भाग अधिकार-धारियों (right-holders) को आवंटित होगा;

(ग) इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन-उपज की उस अधिकतम मात्रा का निश्चय करेगा, जिसे पाने का प्रत्येक अधिकार-धारी (right-holder) हकदार हो;

(घ) उन पशुओं, यदि कोई हों, की संख्या और प्रकार, जिन्हें मांग प्रस्तुत करने वाला समय समय पर उक्त क्षेत्र में चराने का अधिकारी हो और उस ऋतु का, जिस में उक्त चराई अनुमत हो, निश्चय करेगा;

(ङ) अधिकार-धारियों (right-holders) की आवश्यक्ताओं के लिए क्षेत्र की ऐसी प्रदाय क्षमता का, जिससे कि उसके संरक्षण (conservation) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो, ध्यान रखेगा।

(2) यह निश्चय करने में कि इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन-उपज का कितना भाग अधिकार-धारियों (right-holders) को आवंटित हो वन-बन्दोबस्त अधिकारी निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखेगा :—

(क) तत्काल प्रचलित किसी भी विधि के अधीन तैयार किए गए और अन्तिम रूप से

प्रकाशित किसी भी अधिकार अभिलेख में की हुई प्रविष्टियां और उक्त विधि के अधीन उक्त प्रविष्टियों को दिया जाने वाला महत्व;

(ख) वन-उपज की वह राशि, जो अधिकार-धारी (right-holders) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र से अपने लिए ईंधन या अन्य घरेलू या कृषि के प्रयोजनों के लिये ले गये हों;

(ग) वे प्रयत्न, यदि कोई हों, जो कथित वन के आरक्षण या कथित परती भूमि (waste land) को उपयोग में लाने के लिए भूमिपतियों या अधिकार-धारियों (right-holders) द्वारा समय समय पर किये गए हों;

(घ) अन्य कोई भी वस्तुएं, जो कथित क्षेत्र में भूमिपति और अधिकारधारियों (right holders) के क्रमशः अधिकारों (respective rights) को प्रदर्शित करती हों; और

(ङ) भूमि का परिमाण (extent of land), जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित न किया गया हो और अब भी अधिकार धारियों (right holders) के अधिकार-प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

27. वन-संरक्षण के लिए आवश्यकता होने पर अधिकार-निलम्बन.—किसी भी मांग पर धारा 25 के अधीन आदेश देते समय, यदि वन-बन्दोबस्त अधिकारी की यह सम्मति हो कि वन-संरक्षण या सम्बन्धित परती भूमि उपयोगी बनाने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह मांग प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित पूर्ण अधिकारों के प्रयोग की अनुमति देने के बदले यह आदेश दे सकेगा कि उक्त अधिकार-प्रयोग सम्पूर्ण रूप से या अंश रूप से उतनी अवधि तक और उन शर्तों के प्रतिबन्धाधीन निलम्बित रहेंगे, जो आदेश में विशिष्ट की जाएं:

परन्तु वन अधिकारी के लिए पशुओं को चराने के पर्याप्त प्रबन्ध की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

28. अधिकार समाप्ति.—भूमिपति के अधिकारों से अन्य ऐसे अधिकार, जिन के विषय में धारा 22 के अधीन कोई भी मांग प्रस्तुत न की गई हो और जिनके अस्तित्व (existence) के सम्बन्ध में धारा 23 के अधीन परिपृच्छा (enquiry) होने के समय कुछ भी अवबोध न हुआ हो, समाप्त कर दिए जाएंगे, जब तक कि धारा 35 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के पूर्व उन्हें मांगने वाला व्यक्ति वनबन्दोबस्त अधिकारी का यह समाधान नहीं करा देता कि धारा 22 के अधीन निश्चित अवधि के भीतर उक्त मांग प्रस्तुत न करने के लिए उस के सन्मुख पर्याप्त कारण उपस्थित थे।

29. पुनः संविदाओं की मनाही.—धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट वन या क्षेत्र का भूमिपति किसी भी व्यक्ति से, उसको उक्त क्षेत्र से इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज या वृक्ष काटने, इकट्ठा करने या हटाने का

अधिकार प्रदान करते हुए कोई भी संविदा न करेगा और धारा 20 के अधीन कथित अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् उक्त रूप से किया गया कोई भी संविदा शून्य होगा :

परन्तु यह आयन्त्रण, अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए समाप्त हो जाएगा, यदि सम्बन्धित क्षेत्र को नियन्त्रित वन संरक्षित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया हो या क्षेत्र अन्ततः (eventually) एक नियन्त्रित वन संरक्षित न कर दिया गया हो।

30. वृक्ष काटने की मनाही.—(1) धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी होने के समय या तत्पश्चात् किसी भी समय राज्यशासन एक आदेश दे सकेगा, जिस से धारा 35 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक तक और उक्त आदेश में विशिष्ट प्रतिबन्धों और अपवादों (exceptions) के प्रतिबन्धाधीन उस क्षेत्र में, जिस के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना जारी की गई हो, किन्हीं भी वृक्षों या वृक्ष श्रेणियों को काटने, इकट्ठा करने और हटाने की मनाही कर सकेगा और किसी भी संविदा (contract), अनुदान (grant) या अधिकार-अभिलेख (record of rights) में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उक्त आदेश को पूरा किया जायगा :

परन्तु उक्त आदेश उस क्षेत्र पर प्रवृत्त नहीं किया जायगा, जिसे नियन्त्रित वन संरक्षित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया हो।

(2) उक्त प्रत्येक आदेश कथित क्षेत्र के पड़ोस में विनिहित रीति से प्रकाशित किया जायगा।

31. वन के ठेकेदारों की मांगों का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया.— (1) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी होने से पूर्व भूमिपति के साथ किसी संविदा या भूमिपति द्वारा दिए गए अनुदान के अधीन, धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी भी प्रकार की वन-उपज काटने, इकट्ठी करने, वहां से हटाने या वहां पशु चराने के अधिकार रखने की मांग प्रस्तुत करता है और जो उक्त अधिकार के नाश या संपरिवर्तन (loss or modification) के लिए प्रतिधन की मांग करता है, वन बन्दोबस्त अधिकारी वह राशि निश्चित करेगा जो उसकी सम्मति में उक्त मांगकर्ता (claimant) को प्रतिधन के रूप में दी जानी चाहिए, और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह निदेश देगा कि उक्त रूप से निश्चित राशि, यदि कोई हो, मांगकर्ता को दे दी जाए।

(2) उक्त मांगकर्ता (claimant) को दी जाने वाली प्रतिधनराशि निश्चित करते समय वनबन्दोबस्त अधिकारी केवल निम्नलिखित विषयों का ही ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(क) मांगकर्ता (claimant) द्वारा भूमिपति को की गई कोई भी चुकती ;

(ख) आयाकि उक्त चुकती उचित और विश्वस्त (reasonable and bonafide) चुकती भी थी या नहीं ;

(ग) आयाकि मांगकर्ता (claimant) और भूमिपति के बीच हुए किसी संविदा के अधीन या भूमिपति द्वारा किए गए किसी अनुदान के अधीन मांगकर्ता (claimant) द्वारा उस के अधिकारों के प्रयोग से धारा 7 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन हो सकता था या नहीं ;

(घ) वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज काटने इकट्ठी करने या हटाने के लिए मांगकर्ता (claimant) द्वारा उचित रूप से किया गया कोई भी व्यय ;

(ङ) मांगकर्ता (claimant) द्वारा या उसकी अनुमति से काटे गए, इकट्ठे किए गए या हटाए गए वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज का मूल्य ।

(3) प्रतिधन नकदी के रूप में चुकाने का निदेश देने के स्थान पर वनबन्दोबस्त अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि मांगकर्ता (claimant) को कथित क्षेत्र से इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज उतनी संख्या तक काटने, इकट्ठी करने और हटाने की अनुमति होगी, जिसका मूल्य वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निश्चित राशि से न बढ़े ।

(4) मांगकर्ता (claimant) वनअधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों (instructions) में या नियमों में विशिष्ट की जा सकने वाली रीति और समयों और कथित क्षेत्र के भागों से अन्यथा कोई इमारती लकड़ी (timber) या अन्य प्रकार की वन-उपज नहीं काटेगा, इकट्ठी न करेगा या नहीं हटाएगा ।

(5) वन-अधिकारी यह निश्चय करेगा कि मांगकर्ता (claimant) ने उपधारा (3) में वर्णित कुल मूल्य (aggregate value) के बराबर वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज कब काट ली है, इकट्ठी कर ली है और हटा ली है। वन-अधिकारी का यह निश्चय ऐसे किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, जो उस की पुनरावृत्ति में कर्मकारी योजना मंडल (working plán circle) का वनसंरक्षक (conservator of forest) दे सकेगा, अन्तिम होगा ।

32. धारा 25, या धारा 31 के अधीन दिए गए आदेशों पर अपील.—ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस ने धारा 25 या धारा 31 के अधीन मांग (claim) प्रस्तुत की हुई हो, कोई भी वनअधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे राज्यशासन द्वारा इस हेतु सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किया गया हो, धारा 25 या धारा 27 या धारा 31 के अधीन वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के दिनांक से छः महीने के भीतर उक्त आदेश पर विनिहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा ।

33. धारा 32 के अधीन अपील.—(1) धारा 32 के अधीन प्रत्येक अपील याचिका द्वारा लिखित रूप में की जाएगी और वन-बन्दोबस्त अधिकारी को दी जा सकेगी, जो उसे उक्त धारा में निर्दिष्ट विनिहित प्राधिकारी के पास अविलम्ब भेज देगा ।

(2) वन-बन्दोबस्त अधिकारी से प्राप्त अपील की याचिका (petition of appeal) की सुनवाई ऐसी रीति से की जायगी, जैसी भूराजस्व से सम्बन्धित विषयों में अपीलों की सुनवाई के लिए तत्कालार्थ व्यवस्थित हो ।

34. वे व्यक्ति जो उपस्थित होने वकालत करने (plead) और कार्य करने के लिए अधिकृत हैं.—राज्यशासन या ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस ने इस अधिनियम के अधीन मांग प्रस्तुत की हो या आपत्ति प्रस्तुत की हो, इस अधिनियम के अधीन किसी परिपृच्छा, सुनवाई या अपील के मध्य कलेक्टर या वनबन्दोबस्त अधिकारी या अपीलन्यायालय (appellate court)

के सन्मुख अपने स्थान पर उपस्थित होने, वकालत करने (plead) या कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

35. भूमि को नियन्त्रित वन घोषित करने की अधिसूचना.—(1) जब निम्नलिखित घटनाएं घट चुकी हों, अर्थात् :—

(क) मांग प्रस्तुत करने के लिए धारा 22 के अधीन निश्चित अवधि समाप्त हो गई हो और धारा 22 तथा 31 के अधीन की गई समस्त मांगों का, यदि कोई हों वन-अधिकारी ने निर्णय कर दिया हो; और

(ख) यदि कोई ऐसी मांगें की गई हों और उक्त मांगों पर दिए गए आदेशों पर अपील करने के लिए धारा 32 द्वारा सीमित अवधि समाप्त हो जाय और उक्त अवधि के भीतर की गई समस्त अपीलों का, यदि कोई हों, अपील अधिकारी (appellate officer) ने निर्णय कर दिया हो,

राज्यशासन राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा, जिस में वह निर्मित सीमा-चिन्हों के अनुसार या अन्यथा निश्चित रूप से उस क्षेत्र की सीमाएं विशिष्ट करेगा, जिसे नियन्त्रित वन संरक्षित करना है और अधिसूचना में निश्चित दिनांक से उसे नियन्त्रित वन घोषित किया जाएगा और उक्त रूप से निश्चित किए गए दिनांक से वह वन नियंत्रित वन समझा जायगा:

परन्तु यदि किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, जिस के सम्बन्ध में धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, राज्यशासन का यह विचार हो कि इस अध्याय में निर्दिष्ट परिपृच्छाओं (enquiries), प्रकिया तथा अपीलों में इतना दीर्घ समय लगेगा, जिस के मध्य वनसंरक्षण (conservation of forest) को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना हो तो राज्यशासन उक्त परिपृच्छाओं, प्रकिया और अपीलों की समाप्ति हो जाने तक उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन घोषित कर सकेगा किन्तु वह ऐसा नहीं करेगा, जिस से कि किसी भी विद्यमान अधिकार पर, धारा 29 और धारा 30 में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर, प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(2) राज्यशासन द्वारा उपधारा (1) के परादिक के अधीन, किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में की गई कोई भी घोषणा धारा 21 के अधीन दिए गए उस अन्तिम आदेश के, जिस में यह निदेश दिया गया हो कि उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन संरचित करने का प्रस्ताव (proposal) समाप्त कर दिया है, या उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश के दिनांक से प्रभावी नहीं रहेगी।

36. वन के समीप उक्त अधिसूचना का प्रकाशन.—उक्त अधिसूचना द्वारा निश्चित दिनांक से पूर्व वन-अधिकारी उसकी एक प्रतिलिपि वन के समीप के प्रत्येक कस्बे और ग्राम (town and village) में प्रकाशित करवाएगा।

अध्याय 4

नियंत्रित वनों का नियंत्रण और प्रबन्ध और वनअधिकारियों की शक्तियां

37. नियन्त्रित वनों का नियन्त्रण और उनका प्रबन्ध राज्यशासन में निहित होगा.— प्रत्येक नियन्त्रित वन का नियन्त्रण और उसका प्रबन्ध राज्यशासन में निहित होगा।

38. नियन्त्रित वनों के लिए वन-अधिकारियों की नियुक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक नियन्त्रित वन या उसके किसी विशिष्ट भाग के प्रयोजनार्थ एक वन-अधिकारी नियुक्त करेगा।

39. वन-अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान करने की शक्ति.—राज्यशासन निम्न लिखित समस्त शक्तियां या उन में से कोई सी भी शक्ति किसी भी वन अधिकारी को दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) भूमि पर प्रवेश करने, उसका सर्वे (survey) करने, सीमांकन करने और नक्शा बनाने की शक्ति;

(ख) गवाहों की उपस्थिति और प्रलेख तथा भौतिक वस्तुएं (material objects) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्ति; और

(ग) वनअधिकारियों के सम्बन्ध में परिपृच्छा करने और ऐसी परिपृच्छा के मध्य साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति।

40. नियन्त्रित वनों का सीमांकन (**demarcation**).—वन-अधिकारी, उस नियन्त्रित वन या नियन्त्रित वन के उस भाग का, जिस के लिए उसे नियुक्त किया गया हो, ऐसी रीति से सीमांकन करेगा, जो उस प्रकरण में परिस्थिति अनुसार आवश्यक प्रतीत हो।

4. वह परिमाण (**extent**) जिस तक भूमिपति को नियन्त्रित वन से इमारती लकड़ी (**timber**) और अन्य उपज हटाने की अनुमति दी जा सकेगी.—किसी नियन्त्रित वन के लिए नियुक्त वन-अधिकारी, वन के लिए तैयार की गई किसी भी कर्मकारी योजना (working plan) की आवश्यकताओं (requirements) के प्रतिबन्धाधीन, उक्त वनों के भूमिपति या अधिकारधारी को, उनसे उतने परिमाण तक वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज काटने, इकट्ठा करने या हटाने की अनुमति देगा, जितनी वनअधिकारी की सम्मति में भूमिपति या अधिकारधारी की उचित कृषि सम्बन्धी या घरेलू आवश्यकताओं के लिए अपेक्षणीय हों।

42. नियन्त्रित वन से समस्त आय राज्यशासन प्राप्त करेगा तथा उस का समस्त व्यय उठाएगा.—राज्यशासन नियन्त्रित वन के कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त समस्त आय प्राप्त करेगा और उक्त वन के कार्य और प्रबन्ध में किए गए समस्त व्यय चुकाएगा, और ऐसे वन का भूमिपति या अन्य व्यक्ति, किसी भी ऐसे व्यय में, जो राज्यशासन उक्त कार्य या प्रबन्ध के लिए करना आवश्यक समझे, कोई भी आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा।

43. आय और व्यय का लेखा रखना — राज्यशासन या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त कोई भी प्राधिकारी प्रत्येक नियन्त्रित वन के कार्य और प्रबन्ध का विनिहित रीति से आय और व्यय का लेखा रखेगा और वार्षिक लेखे का सार (abstract) उक्त वन के भूमिपति को देगा।

44. भूमिपति को नियन्त्रित वन के लिये भत्तों और उसके शुद्धलाभों (allowances and net profits) की चुकती.—(1) किसी भी नियन्त्रित वन पर अपने नियन्त्रण और प्रबन्ध की अवधि के मध्य विनिहित कालान्तरों पर राज्यशासन निम्नलिखित क्षेत्रों के भूमिपति को निम्नलिखित राशियां चुकाएगा :—

1. वन—

(क) एक भत्ता जो वन-अधिकारी द्वारा निश्चित वन के कुल क्षेत्रफल पर चार आने प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से या आठ आने प्रति एकड़ प्रति वर्ष से अनधिक उस से ऊंची ऐसी दर से आगणित हुआ हो, जो वन-अधिकारी द्वारा, समय समय पर, सामान्य या विशेष आदेश से निश्चित की जाए ; और

(ख) शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, जो वन के कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त हुए हों, दस प्रतिशत प्रबन्ध व्यय के रूप में घटा कर, स्वामी को चुका दिए जाएंगे।

2. परती भूमि—

(क) किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं चुकाया जाएगा;

(ख) जब किसी उक्त भूमि पर राज्यशासन द्वारा वन लगाने में वहन किया गया समस्त व्यय वसूल हो जाए तो उक्त भूमि का नियन्त्रण वन-अधिकारी में निहित रहने की अवधि तक उक्त वन लगाने के फलस्वरूप होने वाले लाभ दस प्रतिशत प्रबन्ध-व्यय के रूप में घटा कर स्वामी को चुका दिए जाएंगे।

(2) शुद्ध लाभों का आगणन करने के प्रयोजनार्थ, वन के कार्य और प्रबन्ध पर किए गए समस्त व्यय, लेखे के दिनांक तक कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त समस्त आय में समायोजित कर दिए जाएंगे, और उस में जो कोई भी न्यूनता हो वह प्रतिवर्ष तब तक अगले खाते में ब्याज के बिना दिखाई जाएगी, जब तक कि उक्त राशि पूरी न हो जाए और अतिरेक (surplus) न हो जाए।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ—

(क) समस्त व्यय में, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित भूमिपति को चुकाया गया भत्ता और धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिधन के रूप में निश्चित कोई भी राशि या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन वन से ली गई किसी भी वस्तु का मूल्य सम्मिलित होगा; और

(ख) समस्त आय में, वन के सम्बन्ध में या उस वन की वन-उपज के सम्बन्ध में भूमिपति की छोड़ कर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए वन-अपराधों में अपहरण

(confiscation) या जब्ती (forfeiture) से प्राप्त राशियां (proceeds) सम्मिलित होंगी, किन्तु उक्त प्राप्तियों (proceeds) में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जाएंगी :—

(अ) उक्त प्राप्तियों (proceeds) में से सूचना देने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को दिए गए पारितोषिक, यदि कोई हों; और

(आ) ऐसे आनुषंगिक व्यय (incidental expenses), जैसे वन-अधिकारी द्वारा निश्चित किए जाएं, जिस में जब्त या अपहृत वन-उपज या वस्तुएं रखने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और बेचने के लिए किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं।

45. अधिकारधारियों के अधिकारों का प्रयोग नियमों के अनुसार किया जाएगा.—नियन्त्रित वन में अधिकार-धारियों के अधिकारों का प्रयोग नियमों के अनुसार किया जायगा।

46. प्रबन्ध हेतु वनों का वर्गीकरण (grouping).—वन-अधिकारी वनों का कुशलतर प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए यह आदेश दे सकेगा कि उस के नियंत्रणाधीन एक से अधिक ग्रामों में और एक से अधिक भूमिपतियों के अधीन नियन्त्रित वन परस्पर वर्गित कर दिए जाएंगे।

47. वार्षिक वर्ग पद्धति.—(1) जब वन अधिकारी ने धारा 46 के अधीन नियन्त्रित वन के वर्गीकरण का आदेश दे दिया हो तो वह यह निदेश दे सकेगा कि नियन्त्रित वन में अधिकारधारियों के अधिकारों का प्रयोग ऐसे वर्ग के ऐसे भाग में किया जाएगा, जैसा कि वह आदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देते समय वन-अधिकारी, जहां तक सम्भव हो सके, नियन्त्रित वन के कुशल प्रशासन और संरक्षण (conservation) पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, अधिकारधारियों की सुविधाओं का ध्यान रखेगा।

48. अधिकार-धारी के अधिकारों की वह सीमा, जो वनअधिकारी द्वारा परिवर्तित की जाएगी.—जब नियंत्रित वन की उपज में किसी अधिकारधारी का भाग किसी वर्ष में अधिकारधारियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो वन अधिकारी उस वर्ष के लिए उक्त उपज की ऐसी राशि निश्चित करेगा, जो प्रत्येक अधिकार-धारी नियमों के अनुसार ले सकेगा।

49. नियंत्रित वन से नियन्त्रण हटाना.—(1) राज्यशासन, अधिसूचना द्वारा किसी भी समय, यह घोषित कर सकेगा कि इस अध्याय के उपबन्ध अधिसूचना में विशिष्ट किए जा सकने वाले दिनांक से नियन्त्रित वन पर प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे, और उक्त दिनांक से वह वन नियन्त्रित वन नहीं रहेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को, धारा 43 के अधीन तैयार किए गए, आय और व्यय के लेखे के संतुलन पत्र (balance sheet of the revenue and expenditure account) से यह प्रदर्शित हो कि उक्त वन के प्रबन्ध और कार्य के सम्बन्ध में राज्यशासन को राशि देय है तो ऐसी राशि स्वामी से इस प्रकार वसूल की जाएगी, जैसा कि राज्यशासन द्वारा सामान्यतः या विशेषतः निश्चित किया जाए।

अध्याय 5

शास्तियां और प्रकिया

50. वन-अपराध.—जो भी व्यक्ति वन-अधिकारी की लेखबद्ध अनुमति के बिना या इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में—

(क) नियन्त्रित वन में किसी वृक्ष को गिराता है, उस के इर्द गिर्द खाई खोदता है (girdles), उसे क़लम करता है, उस में छेद करता है, उसे जलाता है या उस से खाल या पत्ते निकालता है, या उक्त किसी भी वृक्ष को अन्य प्रकार से हानि पहुंचाता है ; या

(ख) नियन्त्रित वन से किसी निर्माण विधि (manufacturing process) के अधीन रहते हुए खान से कोई पत्थर निकालता है या किसी प्रकार की चूने या कच्चे कोयले की भट्टी लगाता है या कोई वन-उपज इकट्ठी करता है या हटाता है ; या

(ग) नियन्त्रित वन में किसी भी भूमि को काश्त के लिये या किसी अन्य प्रयोजन से खोदता है या साफ़ करता है ; या

(घ) नियन्त्रित वन में आग लगाता है या उक्त वन के किसी भाग में आग का फैलाव रोकने के समस्त उचित पूर्वोपाय (reasonable precautions) किए बिना आग जलाता है ; या

(ङ) नियन्त्रित वन में पशुओं द्वारा किसी भी वृक्ष को हानि पहुंचाने देता है ;

वह छः महीने से अनधिक अवधि के कारावास दण्ड, या पांच सौ रुपए से अनधिक अर्थदण्ड, या दोनों प्रकार के दंड का भागी होगा।

51. नियम भंग के लिए शास्तियां.—किसी भी ऐसे नियम का, जिस के लिए इस अधिनियम द्वारा किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की शास्ति की व्यवस्था नहीं की गई है, उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास या एक सौ रुपए से अनधिक अर्थदण्ड या दोनों प्रकार के दण्ड का भागी होगा।

52. सम्पत्ति की ज़ब्ती अपहरणीय हो सकेगी.—(1) जब यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि किसी वन-उपज के सम्बन्ध में वन अपराध किया गया है और ऐसी वनउपज उस नियन्त्रित वन के भीतर पाई जाए, जिस में अपराध किया गया है, तो उक्त उपज किसी भी वन-अधिकारी द्वारा ज़ब्त की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी भी सम्पत्ति को जब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी यह बतलाते हुए उक्त सम्पत्ति पर एक चिन्ह लगा देगा कि वह इस प्रकार से ज़ब्त की गई है, और यथासम्भव शीघ्र, ऐसी जब्ती की रिपोर्ट ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास करेगा, जो उस अपराध की अन्वीक्षा करने में अधिकारक्षेत्र सम्पन्न हो, जिस के आधार पर जब्ती की गई है ।

53. तदुपरान्त प्रक्रिया.—धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट के मिलने पर मैजिस्ट्रेट जितनी जल्दी सुविधापूर्वक हो सके, ऐसे उपाय करेगा, जैसे विधि अनुसार अपराधी की गिरफ़्तारी (apprehension) और उसकी अन्वीक्षा करने, और जब्त की गई सम्पत्ति की व्यवस्थापना (disposal) के लिए आवश्यक हों ।

54. वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber), वन-उपज, कब अपहृत हो सकेंगे.—(1) ऐसे समस्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज, जिस के सम्बन्ध में वन अपराध किया गया हो, अपहरणीय होगी ।

(2) उक्त अपहरण, ऐसे अपराध के लिए विनिहित किए गये किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा ।

55. वन अपराध की अन्वीक्षा की समाप्ति पर, उस उपज की व्यवस्थापना जिस के सम्बन्ध में अपराध किया गया था.—जब किसी भी अपराध की अन्वीक्षा समाप्त हो जाए, ऐसा कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज, जिस के सम्बन्ध में उक्त अपराध किया गया था, यदि अपहृत की गई हो तो वह वन-अधिकारी द्वारा संभाली जाएगी और किसी भी अन्य दशा में ऐसी रीति से व्यवस्थापित कर दी जाएगी, जो न्यायालय नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए निदेशित करे ।

56. ऐसी स्थिति में प्रक्रिया जब यह मालूम न हो कि अपराधी कौन है या अपराधी ढूंढा न जा सकता हो.—ऐसी स्थिति में जब यह मालूम न हो कि अपराधी कौन है या अपराधी ढूंढा न जा सकता हो तो मैजिस्ट्रेट यदि यह निर्णय करता है कि अपराध किया गया है, अपराध-सम्बन्धी सम्पत्ति को अपहृत करने और वन-अधिकारी द्वारा संभालने या ऐसे व्यक्ति को दे देने, जिसे मैजिस्ट्रेट उसे लेने के लिए अधिकृत समझे, आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक उक्त सम्पत्ति जब्त करने के दिनांक से एक मास न बीत जाय या उस पर अधिकार रखने की मांग (claim) करने वाले व्यक्ति की, यदि कोई हो, सुनवाई न कर ली जाय और ऐसा साक्ष्य, यदि कोई हो, न ले लिया जाय, जिसे वह अपनी मांग (claim) के पक्ष में प्रस्तुत कर सके ।

57. धारा 52 के अधीन जब्त की गई जल्दी नष्ट हो जाने वाली (perishable) सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया.—मैजिस्ट्रेट, यहां से पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी, धारा 52 की

उपधारा (1) के अधीन जब्त की गई, शीघ्र और अपने आप नष्ट हो सकने वाली किसी भी सम्पत्ति के विक्रय का निदेश दे सकेगा और प्राप्तियों (proceeds) के सम्बन्ध में ऐसा संव्यवहार कर सकेगा जैसा वह उक्त सम्पत्ति की दशा में करता, यदि उस का विक्रय हुआ ही न होता।

58. धारा 54 से धारा 56 के अधीन दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील.—वह अधिकारी, जिस ने धारा 52 के अधीन जब्ती की हो या कोई भी प्रवर कर्मचारी, या उक्त रूप से ज़ब्त की गई सम्पत्ति में स्वत्व की मांग (claim) करने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 54 से धारा 56 के अधीन दिये गये किसी भी आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर, यथास्थिति, छोड़ने के आदेश (order of acquittal) या अपराधी ठहराये जाने के आदेश (order of conviction) के विरुद्ध, ऐसे न्यायालय के पास अपील कर सकेगा, जिस के पास उक्त मैजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध साधारणतया अपील की जा सकती हो और इस प्रकार की गई अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

59. वह दशा, जिस में सम्पत्ति राज्य में निहित होगी.—यथास्थिति, जब धारा 54 या धारा 56 के अधीन किसी सम्पत्ति के अपहरण के लिये आदेश दे दिया गया हो और उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये धारा 58 में विनिहित अवधि समाप्त हो जाय और ऐसी कोई भी अपील न की गई हो या अपील किये जाने पर अपील न्यायालय उक्त आदेश को समस्त उक्त सम्पत्ति या उस के भाग के सम्बन्ध में पुष्ट कर देता है, तो यथास्थिति, उक्त सम्पत्ति या उस का उक्त भाग, सब भारबोधों से मुक्त हो कर, राज्य के प्रयोजनार्थ शासन में निहित हो जायगा।

60. जब्त की गई सम्पत्ति को मुक्त करने की शक्ति के सम्बन्ध में अपवाद.—यहां से पहले दी गई कोई भी बात, राज्यशासन द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी अधिकारी को धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन जब्त की गई किसी सम्पत्ति को किसी भी समय तत्काल मुक्त करने का आदेश देने में बाधा डालने वाली नहीं समझी जायगी।

61. वृक्षों और इमारती लकड़ी (timber) पर लगे चिन्हों में जालसाज़ी करने या उन्हें बिगाड़ने के लिये और सीमा चिन्ह में आपरिवर्तन करने के लिये शास्ति.—जो कोई भी सर्वसाधारण या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या क्षति पहुंचाने या इंडियन पीनल कोड (Indian Penal Code) में परिभाषित अवैध लाभ उठाने के अभिप्राय से—

(क) जान बूझ कर, किसी इमारती लकड़ी (timber) या खड़े वृक्ष पर जालसाजी से ऐसा चिन्ह लगाता है, जिस का प्रयोग वन-अधिकारी यह प्रकट करने के लिए करते हैं कि उक्त इमारती लकड़ी (timber) या वृक्ष नियन्त्रित वन का है या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है या यह किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत् रूप से काटी जा सकेगी या हटाई जा सकेगी ;

(ख) नियन्त्रित वन में किसी वृक्ष या उक्त वन में पड़ी हुई इमारती लकड़ी (timber) या उक्त वन से वन अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उस के अधीन हटाई गई इमारती लकड़ी (timber) पर निर्मित किसी उक्त चिन्ह में आपरिवर्तन करता है, उसे बिगाड़ता है या मिटाता है ; या

(ग) किसी नियन्त्रित वन के किसी भी सीमा चिन्ह में आपरिवर्तन करता है, उसे इधर उधर करता है, नष्ट करता है या बिगाड़ता है ;

वह छ महीने तक के कारावास दण्ड या पांच सौ रुपये तक अर्थदण्ड या दोनों प्रकार के दण्ड का भागी होगा।

62. गिरफ्तार करने की शक्ति.— जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में युक्त रूप से यह शंका हो कि उस ने ऐसा वन अपराध किया है, जिस में एक महीने या इस से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, और वह वन-अधिकारी के पूछने पर अपना नाम बताने और पता देने से इन्कार करता है या ऐसा नाम बताता है या ऐसा पता देता है, जिसे झूठा समझने के लिए उक्त अधिकारी के पास कारण उपस्थित हों तो उसे उक्त अधिकारी द्वारा इस लिए गिरफ्तार कर लिया जायगा ताकि उस का नाम और पता निश्चित किया जा सके।

(2) जब उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम और पता निश्चित कर लिया जाय तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि उसकी गिरफ़्तारी के समय से चौबीस घण्टे के भीतर उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम और पता निश्चित नहीं किया जाता तो उसे अधिकारक्षेत्रसम्पन्न सब से समीप के मैजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज दिया जायगा।

63. अपराध किए जाने (commission of offence) की रोकथाम की शक्ति.—प्रत्येक वनअधिकारी किसी भी वनअपराधकर्म (commission of any forest offence) को रोक सकेगा, और उस को रोकने के प्रयोजनार्थ हस्तक्षेप कर सकेगा।

64. अपराध अभिसन्धित करने की शक्ति.—धारा 61 और धारा 62 में विशिष्ट अपराधों को छोड़ कर अधिनियम के अधीन दन्डनीय अपराधों में, उस न्यायालय की अनुमति ले कर, जिसके सन्मुख उक्त अपराध का अभियोग विचाराधीन हो, किसी भी ऐसे वन-अधिकारी द्वारा समझौता किया जा सकेगा, जिसे राज्यशासन ने इस सम्बन्ध में अधिकृत किया हो।

65. यह अनुमान (presumption) कर लेना कि वन-उपज नियन्त्रित वनों की है.— जब कभी किसी वन-अपराध के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि नियन्त्रित वन की सीमाओं के भीतर जब्त किये गए वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वनउपज उक्त वन की है या नहीं, तो उस समय पर्यन्त यह अनुमान कर लिया जायगा (shall be presumed) कि उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य प्रकार की वन-उपज उक्त वन की है, जब तक इस के विपरीत प्रमाणित न हो जाए।

अध्याय 6

पशुओं का अनधिकार प्रवेश

66. कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की प्रयुक्ति.—नियन्त्रित वन के किसी भी भाग में अनधिकार प्रवेश करने वाले पशुओं के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उन्हों ने कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की धारा 11 के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक वृक्षस्थल (public plantation) को हानि पहुंचाई है, और उक्त कोई भी पशु किसी भी वनअधिकारी द्वारा पकड़ा जा सकेगा और फाटक में भेजा जा सकेगा (may be impounded)।

67. कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) के अधीन निश्चित अर्थदण्ड में आपरिवर्तन करने की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की धारा 12 के अधीन निश्चित अर्थदण्ड की बजाय इस अधिनियम की धारा 66 के अधीन फाटक में भेजे गए प्रत्येक पशु (each head of cattle impounded) के लिए ऐसे अर्थदण्ड आरोपित किए जाएंगे जैसे वह उचित समझे।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

68. वन अधिकारी लोक सेवक (public servants) समझे जाएंगे.—सब वन अधिकारी इन्डियन पीनल कोड (Indian Penal Code) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक (public servants) समझे जाएंगे।

69. वनअधिकारी व्यापार (trade) नहीं करेंगे.—केवल उस दशा को छोड़ कर, जिस में राज्यशासन की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, कोई भी वनअधिकारी प्रधान (principal) या अभिकर्ता (agent) के रूप में वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वनउपज का व्यापार नहीं करेगा या किसी भी वन के किसी भी पट्टे में या किसी भी वन में कार्य करने के लिए किसी भी संविदा में दिलचस्पी नहीं रखेगा या दिलचस्पी नहीं लेगा।

70. वादों और अन्य कार्यवाहियों पर रुकावट.—जब किसी वन के सम्बन्ध में धारा 20 के अधीन या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो या जब धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन आदेश दे दिया गया हो तो उस दशा को छोड़ कर, जब इस अधिनियम में किसी अन्य स्थान पर व्यवस्था की गई हो, किसी भी दीवानी न्यायालय, दण्ड न्यायालय या माल न्यायालय में—

(क) किसी भी उक्त संपरिवर्तन या आदेश के फलस्वरूप या किसी भी अधिकार को, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी संविदा द्वारा या अन्यथा उक्त वन में प्रयोग करने का अधिकारी था, धारा 28 या धारा 29 द्वारा नियन्त्रित किये जाने के फलस्वरूप किसी भी संपरिवर्तन, निलम्बन या समाप्ति के सम्बन्ध में;

(ख) वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 25, धारा 27 या धारा 31 के अधीन दिए गए किसी भी आदेश या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन की गई अपील या पुनरावृत्ति में दिए गए किसी आदेश में रूपभेद या उसे रद्द करने के लिए;

(ग) राज्यशासन या शासन के किसी भी कर्मचारी के ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो नियन्त्रित वन में राज्यशासन द्वारा या शासन के उक्त कर्मचारी द्वारा उस समय किया गया था या नहीं किया गया था जब उक्त वन राज्यशासन के नियन्त्रण या प्रबन्ध में था या उक्त वन के प्रबन्ध और कार्य के सम्बन्ध में भूमिपति द्वारा देय रूप में मांगे गए किसी भी लाभ के सम्बन्ध में; और

(घ) ऐसे किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, जो शासन के किसी भी कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या आरोपित किसी भी कर्तव्य के सम्पादन या शक्ति के प्रयोग में सद्भावपूर्वक किया गया हो या जो सद्भाव से किया जाना अभिप्रेत था;

कोई भी वाद नहीं चलाया जायगा या अन्य कार्यवाहियां न की जाएंगी और न ही उक्त न्यायालय उन के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करेंगे।

71. वे व्यक्ति जो वनअधिकारियों की सहायता करने के लिए बद्ध होंगे.—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियन्त्रित वन में किसी भी अधिकार का प्रयोग करता है या जिसे उक्त वन से कोई वन उपज हटाने, या उक्त वन में वृक्ष काटने या उक्त वन से इमारती लकड़ी (timber) हटाने या उक्त वन में पशु चराने की अनुमति है और उक्त वन के प्रतिस्पर्शी (contiguous) किसी भी ग्राम में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो शासन द्वारा वृत्ति-युक्त है या समुदाय (community) की सेवा करने के लिए शासन से परिलाभ (emoluments) प्राप्त करता है, सब से समीप के वनअधिकारी को अनावश्यक विलम्ब रहित ऐसी कोई भी सूचना प्रदान करने के लिए बद्ध होगा, जो उसे किसी वन अपराध के किए जाने के या अपराध करने के अभिप्राय के सम्बन्ध में मालूम हो। और चाहे किसी वनअधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए या न की जाए वह तत्काल निम्नलिखित कार्य करने का उपाय करेगा :—

(क) उक्त वन में कोई ऐसी वनाग्नि बुझाना जो उसे ज्ञात हो या जिस की सूचना उसे मिल गई हो;

(ख) उक्त वन के समीप किसी ऐसी अग्नि को, जो उसे ज्ञात हो या जिस की सूचना उसे प्राप्त हो गई हो, अपनी शक्ति के भीतर किसी भी विधिक साधन द्वारा उक्त वन में फैलने से रोकना, और किसी भी वनअधिकारी द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे सहायता देना;

(ग) उक्त वन में किसी भी वन-अपराध के किये जाने की रोकथाम; और

(घ) जब यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि उक्त वन में उक्त अपराध किया गया है तो अपराधी को खोज और उस की गिरफ्तारी ।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उक्त कार्य करने के लिए बद्ध है और वैध कारण (lawful excuse) के बिना, जिसे प्रमाणित करने का भार उक्त व्यक्ति के ऊपर होगा, निम्नलिखित कार्य नहीं कर पाता है :—

(क) सब से समीप के वनअधिकारी को उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना अनावश्यक विलम्ब रहित प्रदान करना ; या

(ख) नियन्त्रित वन में किसी वनाग्नि को बुझाने के लिए उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कार्य करने का प्रयत्न करना ; या

(ग) उक्त वन में किसी भी वन अपराध के किए जाने की रोकथाम के लिए किसी भी वन अधिकारी द्वारा सहायता मांगे जाने पर उन की सहायता करना या यदि यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि उक्त वन में उक्त अपराध किया गया है तो अपराधी की खोज करना और उसे गिरफ्तार करना ;

तो उसे एक महीने से अनधिक अवधि तक के लिए कारावास या दो सौ रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकेगा ।

72. शासन को देय धन की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, या किसी वन-उपज की कीमत के रूप में, राज्य शासन को समस्त देय धन यदि उस समय नहीं चुकाया जाता जब वह चुकाया जाना चाहिए था तो वह तत्काल प्रचलित विधि के अधीन भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।

73. शासन को देय धन के लिए वन-उपज पर ग्रहणाधिकार (lien).—(1) जब किसी वन-उपज के लिए या उसके सम्बन्ध में कोई भी उक्त धन देय हो तो उसकी राशि उक्त उपज पर पहला भार समझी जाएगी और उक्त उपज वनअधिकारी तब तक के लिए अपने कब्जे में ले सकेगा, जब तक उक्त राशि चुका न दी जाए ।

(2) यदि उक्त राशि उस समय नहीं चुकाई जाती जब वह चुकाई जानी चाहिए तो वन-अधिकारी सार्वजनिक नीलामी (public auction) द्वारा उक्त उपज का विक्रय कर सकेगा और विक्रय की आय (proceeds) सब से पहले उक्त राशि को पूरा करने में प्रयुक्त की जाएगी । और अतिरेक यदि कोई हो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा ।

74. बन्ध (bond) के अधीन देय शास्तियों की वसूली.—जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसार या किसी नियम के अनुपालन में, कोई कर्त्तव्य या कार्य सम्पादित करने के लिए किसी बन्ध (bond) या लिखत (instrument) द्वारा अपने आप को बद्ध कर लेता है या किसी बन्ध (bond) या लिखत (instrument) द्वारा यह वायदा करता है कि उसके कर्मचारी और अभिकर्ता (agents) किसी कार्य में शामिल नहीं होंगे, तो उस की शर्तें भंग करने की दशा में

उक्त बन्ध (bond) या लिखत (instrument) में बतलाई गई धन के रूप में चुकाई जाने वाली समस्त राशि, इन्डियन कन्ट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त भंग होने की दशा में उस से भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेंगी।

75. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, उक्त नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय का आनियमन किया जा सकेगा, अर्थात् —

(क) नियन्त्रित वनों से वृक्ष और इमारती लकड़ी (timber) काटना, चीरना, टुकड़े करना और हटाना और वन-उपज इकट्ठी करना, बनाना (manufacture) और हटाना;

(ख) नियन्त्रित वनों के समीप के कस्बों और ग्रामों के निवासियों को, उनके अपने प्रयोग के लिए वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज ले जाने के लिए लाइसेंस देना और उक्त व्यक्तियों द्वारा, लाइसेंस का प्रस्तुतिकरण और वापसी;

(ग) उक्त वनों में व्यापार के प्रयोजनार्थ वृक्ष या इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज गिराने या इन्हें उक्त वनों से हटाने के लिए व्यक्तियों को लाइसेंस देना और उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त लाइसेंसों का प्रस्तुतिकरण और वापसी;

(घ) खन्ड (ख) या (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा, उक्त वृक्ष काटने या उक्त इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज इकट्ठा करने और हटाने की अनुमति के लिए की जाने वाली चुकती, यदि कोई हो;

(ङ) उक्त वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) और वन-उपज के सम्बन्ध में उन के द्वारा की जाने वाली अन्य चुकतियां, यदि कोई हों, और वे स्थान जहां पर उक्त चुकतियां की जाएंगी;

(च) उक्त वनों से बाहर जाने वाली वन-उपज की जांच पड़ताल;

(छ) उक्त वनों में कृषि या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की सफाई और खुदाई;

(ज) उक्त वनों मे पड़ी हुई इमारती लकड़ी (timber) और वृक्षों की अग्नि से रक्षा;

(झ) उक्त वनों में घास की कटाई और पशुओं की चराई;

(ञ) उक्त वन में आखेट करना, गोली चलाना (shooting), मछली पकड़ना, जल में विष मिलाना या जाल या फन्दे लगाना :

परन्तु इस खन्ड के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, नियन्त्रित वन के भूमिपति या उसके द्वारा और वनअधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उक्त वनों में आखेट करने, गोली चलाने या मछलियां पकड़ने के लिए अनुज्ञापत्र लेने या कोई भी फीस चुकाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(ट) उक्त वनों में कच्चे कोयले (charcoal) की भट्टी लगाना या किसी भी वन-उपज को किसी भी निर्माणविधि (manufacturing process) के अधीन प्रतिबन्धित करना ;

(ठ) अधिकारधारियों के अधिकारों का उक्त वनों में प्रयोग ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन अर्थदण्डों और अपहरणों की आय (proceeds) में से अधिकारियों और सूचना देने वाले व्यक्तियों को चुकाए जाने वाले पारितोषिकों का आनियमन ;

(ढ) वैयक्तिक वन से बिरोजा (resin) निकालना और उसे हटाना ;

(ण) धारा 50 के प्रयोजनार्थ खानों और धातुओं के लिये खान खोदने के सम्बन्ध में आनियमन ;

(त) इस अधिनियम के अधीन वनअधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(थ) धारा 43 में वर्णित लेखे में आय और व्यय के रूप में समाविष्ट की जाने वाली मदें, और वह रीति जिस के अनुसार उक्त लेखा तैयार किया जायगा ; और

(द) ऐसा कोई भी विषय, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से विनिहित किया जाना या नियमों द्वारा व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है ।

3. (क) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के प्रतिबन्धाधीन होगी कि उन का पूर्व प्रकाशन किया जाए ।

(ख) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और यदि कोई भिन्न दिनांक विशिष्ट न किया जाए तो वे प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित हो जाएंगे ।

76. अपवाद.—इस अधिनियम का कोई भी उपबन्ध नियन्त्रित वन में या उसके नीचे स्थित खनिजों के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा और राज्यशासन इस सम्बन्ध में अपने बनाये गए किसी भी नियम के अनुसार इस अधिकार के लिये वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग के लिये यथेष्ट उपबन्ध (adequate provisions) बनाएगा ।

शिमला-4, 20 अगस्त, 1955

सं० वी० एल० 72/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 10 अगस्त, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखि विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश की विधान के प्रक्रिय नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व सामान्य सूचना के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 7, 1955

हिमाचल प्रदेश कृषक्षेत्र एकत्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का

अधिनियम

यह गण तंत्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इस का प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त (atonce) प्रचलित होगा।

2. धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कृषिक्षेत्र एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (2) में शब्द "उक्त अधिनियम और उक्त नियमों द्वारा कलेक्टर, एसिस्टेंट कलेक्ट और तहसीलदार को प्रदान की हुई समस्त शक्तियां सम्पदा, सम्पदा समूह या सम्पदा के उपभाग में एकत्रीकरण प्रवर्तन (consolidation operations) के रहने तक, क्रमशः, बन्दोबस्त अधिकारी (एकत्रीकरण), एकत्रीकरण अधिकारी और सहायक एकत्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी।" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम और उक्त नियमों द्वारा कलेक्टर और एसिस्टेंट कलेक्टर को प्रदान की हुई समस्त शक्तियां सम्पदा समूह या सम्पदा के उपभाग में एकत्रीकरण प्रवर्तन (consolidation

operations) के रहने तक, निम्नलिखित रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी :—

(1) एकत्रीकरण संचालक (Director of Consolidation)	...	कलेक्टर
(2) बन्दोबस्त अधिकारी (एकत्रीकरण)	... ...	कलेक्टर
(3) एकत्रीकरण अधिकारी	... ...	एसिस्टेंट कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी
(4) एसिस्टेंट एकत्रीकरण अधिकारी	... ...	एसिस्टेंट कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी।"

शिमला-4, 24 अगस्त, 1955

सं० वी० एस० 175/55.—हिमाचल प्रदेश के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 अगस्त, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 21, 1955

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 में संशोधन करने का

विधेयक

यह गणतन्त्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंन्टरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ (संशोधन) विधेयक, 1955 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 (Himachal Pradesh Ministers'

and Parliamentary Secretaries' Salaries and Allowances Act, 1952) की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाए :—

"(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof no charge whatsoever of income tax levied under the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Minister and it shall be borne by the Government".

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एन्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एन्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है कि मन्त्री किराया चुकाये बिना उपास्कृत निवास स्थान प्रयोग करने का अधिकारी होगा या यदि मन्त्री को किराए के बगैर उपास्कृत निवास स्थान न दिया गया हो या यदि वह किराए के बगैर उपास्कृत निवास स्थान का प्रयोग न कर रहा हो तो उसे बदले में किराए का भत्ता दिया जायगा। किराए के बगैर उपास्कृत निवास स्थान के किराए का मूल्य या मकान के किराए का भत्ता आयकर के रूप में निर्धारण योग्य आय मानी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मन्त्री को इस राशि पर आयकर देने से छूट दी जाए और यह शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

यशवन्त सिंह परमार

शिमला-4, 24 अगस्त, 1955

स० वी० एस० 176/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 24 अगस्त, 1955 को पुरः स्थापित हुआ। एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 22, 1955

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) ऐक्ट, 1952, में संशोधन करने का

विधेयक

यह गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश

लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज एण्ड एलाऊंसिज) (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) ऐक्ट, 1952, [Himachal Pradesh Legislative Assembly (Salaries and Allowances) Act, 1952] की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज एण्ड एलाऊंसिज ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाए :—

"(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof no charge whatsoever of income-tax levied in accordance with the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Speaker and it shall be borne by the Government."

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज एन्ड एलाऊंसिज) ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष किराया चुकाये बिना उपास्कृत निवास स्थान प्रयोग करने का अधिकारी होगा या यदि अध्यक्ष को किराए के बगैर उपास्कृत निवासस्थान न दिया गया हो या यदि वह किराए के बगैर उपास्कृत निवासस्थान का प्रयोग न कर रहा हो तो उसे बदले में किराए का भत्ता दिया जाएगा। किराए के बगैर उपास्कृत निवासस्थान के किराए का मूल्य या मकान के किराए का भत्ता आयकर के रूप में निर्धारण योग्य आय मानी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष को इस राशि पर आयकर देने से छूट दी जाए और यह शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

यशवन्त सिंह परमार

शिमला-4, 23 अगस्त, 1955

सं० वी० एल० 174/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 23 अगस्त, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 23, 1955

हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश में छोटी नहरों के नियन्त्रण और प्रबन्ध की सुव्यवस्था करने और उन पर उन्नति शुल्क लगाने का

विधेयक

यह गणतन्त्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार.– (1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

2. अधिनियम का प्रवर्तन.—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध उस सीमा तक और उस रीति से प्रवृत्त होंगे, जो यहां से आगे यथास्थिति या तो अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में विशिष्ट प्रत्येक नहर के लिए व्यवस्थित है।

(2) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्यशासन समय समय पर अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी भी नहर को अनुसूची 1 में या स्थितिअनुसार अनुसूची 2 में रख सकेगा, या किसी नहर को एक अनुसूची से निकाल कर दूसरी अनुसूची में रख सकेगा और उसके पश्चात् इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध, जो उक्त अनुसूची में समाविष्ट नहरों पर प्रयुक्त होते हों, या उक्त उपबन्धों में से ऐसे उपबन्ध, जो राज्य शासन निदेशित करे, उक्त नहर पर प्रयुक्त होंगे, या

(ख) इस अधिनियम के प्रवर्तन (operation) से किसी भी ऐसी नहर को मुक्त कर सकेगा, जो या तो अनुसूची 1 में समाविष्ट हो या अनुसूची 2 में समाविष्ट हो:

परन्तु कोई भी नहर अनुसूची 1 में नहीं रखी जाएगी, जब तक—

(क) शासन को पूर्णतया या अंशतया उस पर स्वामित्व प्राप्त न हो, या

(ख) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के समय शासकीय पदाधिकारी या कोई स्थानीय प्राधिकारी उसका प्रबन्ध न करता हो, या

(ग) जिन स्थानों में यह अधिनियम प्रसारित है, उन स्थानों में उसका कुछ भाग उनके अन्दर और कुछ भाग बाहर स्थित न हो, या

(घ) जो अनुसूची 2 में समाविष्ट की गई हो और राज्यशासन के निदेशाधीन अनुसूची 1 में रख दी गई हो।

3. परिभाषायें—जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) "लाभधारी (beneficiary)" का किसी नहर के सम्बन्ध में तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे तत्कालार्थ उक्त नहर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुंच रहा हो या लाभ पहुंचे;

(2) "उन्नतिशुल्क (betterment charges)" का तात्पर्य अध्याय 3 के अधीन सिंचन योजना में समाविष्ट भूमियों पर आरोपित शुल्क से है;

(3) "नहर" का तात्पर्य किसी भी नहर, प्राकृतिक या कृत्रिम कूल (artificial channel) या प्राकृतिक जलोत्सारण (line of natural drainage) या किसी जलाशय (reservoir), बन्द (dam) या तटबन्द (embankment), कूएं, ट्यूबवेल, उद्वाही सिंचन प्रबन्ध (lift irrigation arrangement) से है, जो जल प्रदाय या जलसंग्रह या भूमि को बाढ़ या रेत से बचाने के लिए निर्मित, संधृत या नियन्त्रित हों और इसके अन्तर्गत हैं,—ऐसे जलमार्ग या सहायक कर्म (subsidiary works), जिन की परिभाषा इस धारा में दी गई है;

(4) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिले के मुख्य मालअधिकारी से है और ऐसा पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की समस्त या कोई सी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(5) "कमिश्नर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त ऐसे पदाधिकारी से है, जिसे कमिश्नर की समस्त या कोई सी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(6) अभिव्यक्ति "संरचना (construction)" और "निर्माण (contruct)" के अन्तर्गत है,—ऐसा कोई भी आपरिवर्तन, जिससे नहर द्वारा सिंचनयोग्य क्षेत्र सारतः बढ़ जाए या सारभूत महत्व का अन्य कोई आपरिवर्तन, या नहर का ऐसा नवनिर्माण, जो नहर के छः वर्षों तक प्रयोग में न लाने के पश्चात् किया गया हो, किन्तु इस के अन्तर्गत नहीं है,— नहर के उद्गम स्थान (canal head) की पुनः ऐसी खोदाई करना, जो नदी में परिवर्तन होने के कारण अस्थायी रूप से छोड़ दिया गया हो और नए उद्गमस्थान (canal head) की खोदाई, जिसकी आवश्यकता किसी विद्यमान सिंचन को कुशलतर बनाने के लिए नदी या किसी जलमार्ग में परिवर्तन के कारण हुई हो;

(7) "उपनदी (creek)" का तात्पर्य नदी के ऐसे मुख्य मार्ग को छोड़ कर, जहां से नदी का पानी रेत इकट्ठा न होने पर वर्ष में किसी भी समय प्राकृतिक रूप से बहे, नदी के अन्य किसी भी मार्ग से है;

(8) "ज़िले" का तात्पर्य राजस्व प्रयोजनार्थ नियत ज़िले से है;

(9) "शासन या राज्यशासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है ;

(10) "सेचक (irrigator)" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसमें नहर से सिंचन होता हो, ऐसे व्यक्ति से है, जो ऐसी सिंचाई से तत्कालार्थ प्रत्यक्ष लाभ उठा रहा हो और इस के अन्तर्गत भूस्वामी या उक्त भूमि में स्वत्व (interest) रखने वाला अन्य व्यक्ति भी होगा ;

(11) "श्रम (labour)" के अन्तर्गत होंगे —श्रमिक, पशु और अन्य उपकरण (appliances), जो ऐसे काम को पूरा करने में आवश्यक हों, जिसके लिए श्रम का प्रबन्ध करना हो ;

(12) "चक्की (mill)" का तात्पर्य ऐसे किसी भी साधन से है, जिसके द्वारा पीसने (grinding), चीरने (sawing) या कूटने (pressing)के लिए या मशीन चलाने के लिए या अन्य उसी प्रकार के प्रयोजनार्थ किसी नहर की जलशक्ति प्रयोग की जाती हो और नहर के सिवाये उक्त साधन (contrivance) से सम्बद्ध समस्त सहायक कर्म (subsidiary works) और संरचनाएं (structure) इसमें सम्मिलित होंगी ;

(13) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है !

(14) "अधिकार-अभिलेख (record of rights)" और "माल अधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो उन्हें क्रमशः हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 में दिया गया है ;

(15) "सहायक कर्मों (subsidiary works)" का तात्पर्य ऐसे समस्त कर्मों (works) से है, जो ऐसी सिंचाई के सम्बन्ध में नहर में जल पहुंचाने का नियन्त्रण या संधारण करने या नहर को ठीक हालत में रखने के लिए या उससे सिंचाई का आनियमन करने या बाढ़ रोकने या उचित जलोत्सारण का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे कर्मों के लिए आवश्यक भूमि भी इसके अन्तर्गत होगी;

(16) "जल-मार्ग (water course)" का तात्पर्य ऐसी किसी भी कूल से है, जिसमें किसी नहर से पानी दिया जाता है और जिसे सेचकों के व्यय पर संधृत (maintain) किया जाता है और जलद्वार (sluice)या मोरी (outlet) को छोड़ कर, जिस से ऐसी कूल को पानी दिया जाता है, उक्त कूल से सम्बद्ध समस्त सहायक कर्म (subsidiary works) इसमें सम्मिलित होंगे ;

(17) "जल कर(water rate)" का तात्पर्य उन्नतिशुल्कों (betterment charges) से अन्यथा नहरी जल के लिए लगाए गए शुल्कों (charges) से है ;

अध्याय 2

नहरों का निर्माण

4. अनुमति के बिना नहरें बनाने की मनाही.—जब शासन ने इस सम्बन्ध में किसी प्राकृतिक कूल (natural channel), झील या अन्य जलसंग्रह (collection of water) को अधिसूचित कर दिया हो तो कोई भी व्यक्ति आगामी उत्तरवर्ती धारा में विहित रीति से पूर्वानुमति लिए बिना ऐसी नहर

नहीं बना सकेगा, जिस में उक्त कूल, झील या अन्य जल संग्रह से जल पहुंचाना अभिप्रेत हो (intended to be fed):

परन्तु इस धारा का कोई भी उपबन्ध विद्यमान नहर में से जल-मार्ग (water course) बनाने या कूएं या ट्यूब वैलज़ (tube wells) बनाने के सम्बन्ध में प्रयुक्त नहीं होगा।

5. अनुमति के लिए प्रार्थनापत्र और उस पर प्रक्रिया—(1) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी नहर बनाना चाहता हो, जिसे ऐसे प्रदायस्रोत (source of supply) से जल पहुंचाना अभिप्रेत हो, जिसे राज्य शासन ने धारा 4 के अधीन अधिसूचित किया हो, लिखित रूप में कलेक्टर के पास उस धारा में विहित अनुमति के लिए प्रार्थनापत्र दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक प्रार्थनापत्र ऐसे रूप में दिया जाएगा और उस में ऐसे ब्योरे (particulars) होंगे, जो राज्य शासन इस सम्बन्ध में विहित करे।

6. अधिसूचित प्रदायस्रोत (notified source of supply) से नहर बनाने की कलेक्टर की शक्ति.—(1) जब धारा 4 के अधीन राज्यशासन ने किसी प्रदायस्रोत (notified source of supply) को अधिसूचित कर दिया हो और कलेक्टर का यह विचार हो कि उस से जल ले कर बनाई गई नहर लाभकारी रहेगी तो वह सामान्य उद्घोषणा (general proclamation) द्वारा समस्त स्वत्व रखने वाले (interested) व्यक्तियों को उक्त ऐसी नहर बनाने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा या ऐसी नहर बनाने की अनुमति दे देगा।

(2) यदि ऐसी अवधि तक, जो उपधारा (1) के अधीन सूचना में विशिष्ट की जाएगी, उक्त नहर बनाने पर कोई आपत्ति नहीं की जाती, या उक्त अवधि में कोई आपत्ति की गई हो किन्तु उस का अन्तिम निर्णय (finally overruled) कर दिया गया हो तो कलेक्टर उक्त नहर बनाने का कार्य आरम्भ कर सकेगा।

(3) धारा 61 और 74 के उपबन्ध इस धारा की उपधारा (1) और पूर्ववर्ती धारा के अधीन कलेक्टर की समस्त कार्यवाहियों पर प्रयुक्त होंगे और इस तथा पूर्ववर्ती धारा द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियां ऐसी स्वीकृति (sanction) के प्रतिबन्धाधीन जो शासन विहित करे, और शासन द्वारा बनाए गए नियमों के प्रतिबन्धानुसार प्रयोग में लाई जाएंगी।

7. अनधिकृत रूप से नहर बनाने की मनाही और अनधिकृत नहरों को बन्द करने की शक्ति.—(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 4 और 5 के अधीन आवश्यक अनुमति (permission) लिए बिना या उक्त अनुमति (permission) की शर्तों (conditions) के विरुद्ध किसी नहर को बनाना आरम्भ करता है या नहर बनाने का काम जारी रखता है तो कलेक्टर किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को और सामान्य उद्घोषणा द्वारा अन्य समस्त व्यक्तियों को नहर का निर्माण जारी रखना मना कर सकेगा:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उस संरचना (construction) की दशा में, जिस से नहर द्वारा सींचने योग्य क्षेत्र का सारतः फैलाव न होता हो, (unless in the case of a construction which will materially extend the area irrigable by a canal) किसी भी ऐसी नहर के सम्बन्ध में कोई भी आदेश या स्थिति अनुसार उद्घोषणा जारी नहीं की जायगी, जो बिना किसी ऐसे विघ्न के, जो उपरोक्त व्यक्ति के बस से बाहर का प्रकृति जन्य विघ्न हो, तीन वर्ष की अवधि तक सिंचन प्रयोग में लाई गई हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय इस अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 के अधीन आवश्यक अनुमति (permission) के बिना नहर बनाएगा तो कलेक्टर शासन की पूर्व स्वीकृति (previous sanction) ले कर इसे और इस के जलप्रदाय (water supply) को बन्द कर देगा और पुनः लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को और सामान्य उद्घोषणा (general proclamation) द्वारा अन्य समस्त व्यक्तियों को ऐसी नहर बनाए रखना, उस की मरम्मत करना या उसे पुनः आरम्भ करना या उस का जल प्रयोग करते रहना मना कर सकेगा।

अध्याय 3

उन्नति शुल्क (Betterment Charges)

8. उन्नति-शुल्क (betterment charges) लगाने के प्रस्ताव की अधिसूचना.—(1) ऐसी नहर के लिए, जो जनवरी 1, 1952 के पश्चात् पूर्णरूपेण या अंशरूपेण शासन ने अपने व्यय पर बनाई हो, रूपान्तिरित की हो, बढ़ाई हो या जिस की मरम्मत की हो, चाहे वह अनुसूची 1 में हो या अनुसूची 2 में, सिंचाई की योजना में समाविष्ट सिंचनक्षेत्र को, जिसके सम्बन्ध में उन्नति-शुल्क (betterment charges) लगाया जाना हो, राजपत्र में अधिसूचित करके उन्नति शुल्क (betterment charges) लगा सकेगा, जो सिंचाई की योजना में समाविष्ट हों या जिसकी सिंचाई की योजना में समाविष्ट किये जाने की संभावना हो। शासन द्वारा योजना पर किया गया समस्त व्यय भी अधिसूचना में दिया जाएगा।

(2) उन्नति शुल्कों का परिमाण (quantum) नियत करने में शासन निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखेगा—

(क) पूंजी व्यय ;

(ख) सिंचाई की सुविधाओं के कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि ; और

(ग) सिंचाई की सुविधाओं के कारण खेती की उपज में वृद्धि।

9. उन्नति-शुल्क (betterment charges) लगाने की प्रक्रिया.—(1) धारा 8 में निर्दिष्ट अधिसूचना का प्रकाशन होने के दिनांक से एक मास समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी समय शासन सिंचाई की किसी योजना में समाविष्ट समस्त भूमियों के लिए उन्नति शुल्कों (betterment charges) की एक अनुसूची बनाएगा, जिस में वे मान (rates) प्रदर्शित होंगे, जिन के अनुसार भूस्वामियों और उसमें स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों पर शुल्क (charges) लगाए जा सकेंगे और उन से प्राप्य होंगे और वह अनुपात प्रदर्शित होगा, जिस में इस प्रकार देय शुल्क (charges) चुकाए जा सकेंगे :

परन्तु किसी विशेष योजना के सम्बन्ध में समस्त भूमि पर आरोपित समस्त राशि शासन द्वारा योजना पर किए गए समस्त व्यय और जितने वर्षों में उन्नति शुल्क (betterment charges) ऐसी बराबर किस्तों में, जो विहित की जाएं, वसूल करना हो, उस अवधि के ब्याज के योग से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार आरोपित उन्नति शुल्क केवल उसी समय से वसूल किए जाएंगे जब नहर या कूल के पानी द्वारा सिंचित भूमि से पहली फसल काटी जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई अनुसूची का प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि प्रभावित क्षेत्र में किसी ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपकाई जाएगी और वह अन्य विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा।

(3) उक्त भूमि का कोई भी भूस्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जिस पर प्रस्तावित उन्नति-शुल्कों (betterment charges) से प्रभाव पड़ सकता हो, राजपत्र में अनुसूची प्रकाशन के दिनांक या क्षेत्र में इस के प्रकाशन के दिनांक, इन दोनों में से जो भी बाद का हो, से 60 दिन के मध्य शासन को एक लिखित याचिका दे सकेगा, जिसमें वह उन्नति शुल्क (betterment charges) लगाने या उनके मान (rate) के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, का ब्योरा देगा।

(4) आपत्तियों पर विचार और पुनः विषय की ऐसी परिपृच्छा (enquiry) करने के उपरान्त, जो शासन उचित समझे, उन्नति-शुल्कों (betterment charges) की अन्तिम अनुसूची का निश्चय करेगा और उनको राजपत्र में और अन्य विहित रीति से प्रकाशित कराएगा।

10. उन्नति शुल्क (betterment charges) की अनुसूची का अन्तिम होना.—धारा 9 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रकाशित अन्तिम अनुसूचियों के अधीन लगाए जा सकने वाले उन्नति-शुल्क अंतिम होंगे।

11. उन्नति शुल्कों की मांग.—(1) जब धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन राजपत्र में उन्नति-शुल्कों की अनुसूची प्रकाशित कर दी गई हो तो कलेक्टर उनके सम्बन्ध में एक मांगपत्र (demand statement) विहित रूप में तैयार करेगा, जिसमें उन राशियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसे देने के लिए प्रत्येक भूस्वामी या उस भूमि में स्वत्व रखने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा, और मांग की सूचना की तामील उस व्यक्ति पर करवाएगा।

(2) कोई भी भूस्वामी या उक्त भूमि में स्वत्व रखने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि में, जो मांग की सूचना के दिनांक से विहित की जाए, मांग या उसके किसी भाग पर आपत्ति करते हुए एक याचिका (petition) कलेक्टर के पास भेज सकेगा और याचिका का विहित रीति से निर्णय किया जाएगा और इस सम्बन्ध में दिये गए आदेश पर विहित रीति से अपील की जा सकेगी।

(3) मांग की सूचना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि, उन आदेशों के प्रतिबन्धाधीन, जो उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के अधीन दिए गए हों, विहित समय में चुकाई जाएगी।

12. कुछ योजनाओं का उन्नति-शुल्क आरोपण से मुक्त होना.—शासन किसी भी योजना या योजना श्रेणी (class of schemes) को जो नहर की परिभाषा के अन्तर्गत हो, उन्नति-शुल्क आरोपण से मुक्त कर सकेगा यदि आवश्यक परिपृच्छा के उपरान्त शासन का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी योजना या योजनाओं से भूमि के मूल्य में या उस की वार्षिक उपज में सारतः कोई वृद्धि नहीं हुई है।

13. उन्नति-शुल्कों की वसूली का स्थगन.—जब किसी क्षेत्र में फसल न हुई हो तो इस अधिनियम में या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी शासन ऐसी अवधि तक, जो वह उचित समझे, ऐसे उन्नति शुल्कों की वसूली का सम्पूर्ण रूपेण या अंश रूपेण स्थगन कर सकेगा।

14. उन्नति शुल्कों का अभिभाजन (Apportionment of betterment charges).—उन्नति-शुल्क (betterment charges) भूस्वामी और उक्त भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति से विहित अनुपात में वसूल किए जा सकेंगे :

परन्तु एक ही भूमि के भूस्वामी और उस में स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों के मध्य कोई भी उक्त अभिभाजन करते समय उस भूमि से सम्बद्ध उक्त व्यक्तियों के मध्य उपज या पूंजी मूल्य (capital values) की बटाई से सम्बन्धित प्रचलित व्यवहार (prevailing practice) का उचित ध्यान रखा जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहां एक से अधिक भूस्वामी हों उस अवस्था में भूस्वामी से वसूल किए जाने योग्य भाग के लिए वे संयुक्त और पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी होंगे। और इसी प्रकार जहां भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति एक से अधिक हों उस अवस्था में वे उन से वसूल किए जाने योग्य भाग के लिए संयुक्त और पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी होंगे।

15. उन्नति-शुल्क (betterment charge) भूमि पर एक भार होगा.—इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन देय उन्नति-शुल्क को भूराजस्व के सिवाए भूमि से सम्बन्धित अन्य समस्त देय भारों (charges) से पूर्वता दी जाएगी और उस सीमा तक वह भूमि पर एक भार समझा जाएगा और भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जा सकेगा।

16. उन्नति शुल्क का प्रभाव किसी भी अन्य प्य शुल्क पर नहीं पड़ेगा.—इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में देय उन्नति शुल्क से, तत्काल प्रचलित अन्य किसी भी विधि के अधीन आरोप्य अन्य किन्हीं करों या शुल्कों (rates or charges) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रुकावट.—इस अध्याय के अधीन किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य से सम्बद्ध विषय के सम्बन्ध में किसी भी दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा।

18. कार्यवाहियों से मुक्ति.- उस अवस्था में जहां संधारण के लिए लाभधारी उत्तरदायी हों ऐसी किसी हानि के लिए जो लाभधारियों के संधारण से सम्बन्धित प्रमाद के कारण नहर का जल व्यर्थ होने या रुक जाने से हुई हो या शासन द्वारा संधृत नहरों की दशा में ऐसे किसी कारण से हुई हो, जो शासन के बस से बाहिर के हों या कलेक्टर द्वारा नहर में की गई मरम्तों, आपरिवर्तनों या वृद्धियों के कारण हुई हो या कलेक्टर द्वारा उस में जलप्रवाह के उचित नियंत्रण के लिए किये गए उपायों से हुई हो या सिंचन

के स्थापित क्रम का (Established course) उस अवस्था में संधारण करने से हुई हो, जहां कलेक्टर ऐसा करना आवश्यक समझे, शासन के विरुद्ध प्रतिधन या उन्नतिशुल्कों की वापसी के हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

19. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना दे कर इस अध्याय के उपबन्धों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त या उन में से किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) वह रीति, जिसके अनुसार इस अध्याय के अधीन [सूचनाएं या उन्नतिशुल्कों की अनुसूचियां प्रकाशित की जाएंगी ;

(ख) वह रीति, जिसके अनुसार सिचाई की योजना में किन्हीं भूमियों या भूमि की किन्हीं श्रेणियों (class of lands) से सम्बद्ध उन्नति शुल्कों के मान (rates) की गणना की जाएगी ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन मांगपत्र बनाने का रूप(form) और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया ;

(घ) मांग की सूचनाएं तैयार करने का ढंग और उनकी तामील की रीति।

(च) वह समय, जिस के मध्य धारा 11 के अधीन मांग की सूचनाओं के विरुद्ध आपत्तियां दायर की जा सकेंगी, उन आपत्तियों का निश्चय करने की प्रक्रिया और वे प्राधिकारी जिन के पास और वह रीति जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिबन्धाधीन, उन सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें दायर की जा सकेंगी ;

(छ) वह समय, जिस के मध्य मांग की सूचना के पश्चात् उन्नति शुल्क (betterment charges) देय होंगे, और वह रीति, जिस के अनुसार उक्त शुल्क वसूल किए जा सकेंगे ;

(ज) वह रीति, जिसके अनुसार भूस्वामियों और भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के मध्य उन्नतिशुल्कों का अभिभाजन किया जा सकेगा ;

(झ) वह रीति, जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिबन्धाधीन कोई भी पदाधिकारी इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अपनी शक्तियां प्रयोग करेगा ; और

(ट) अन्य ऐसा कोई भी विषय, जिसे इस अध्याय के अधीन विहित करने की आवश्यकता हो।

अध्याय 4

अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों पर प्रवर्तनीय उपबन्ध

20. यह अध्याय अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवर्तनीय होगा.—उस दशा को छोड़कर, जब शासन धारा 80 के अधीन अन्यथा निदेश दे, इस अध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रवृत होंगे, जो अनुसूची 1 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों।

21 कलेक्टर की सामान्य शक्तियां.—(1) किसी नहर या जल मार्ग (water-course) में या नहर अथवा जलमार्ग पर किन्हीं भी अधिकारों के विद्यमान होते हुए भी कलेक्टर—

(क) उन नहरों के कुशल-संधारण (efficient maintenance) और उन्हें चलाने के लिए या उनके जल को उचित रूप से बांटने के लिए उन के नियन्त्रण, प्रबन्ध और संचालन की समस्त शक्तियां प्रयोग कर सकेगा, और

(ख) जब कभी और जब तक जलमार्ग, जलद्वार या मोरी की प्रथागत उचित मरम्मत नहीं की जाती या ऐसे जलमार्ग, जलद्वार या मोरी को जान बूझ कर क्षति पहुँचाई जाती है या अनुचित रूप से उस की वृद्धि की जाती है, जिस से किसी व्यक्ति को, या जलद्वार या मोरी की दशा में, किसी जलमार्ग या किसी व्यक्ति को, जल प्रदाय किया जाता हो, तो ऐसे जल मार्ग, जलद्वार या मोरी अथवा किसी व्यक्ति को जल प्रदाय रोक सकेगा।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए, जो उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश से हुई हो, शासन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति (compensation) के लिए कोई भी दावा (claim) प्रवर्तनीय नहीं होगा, किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिस की हानि उपधारा (1) (क) के अधीन दिए गए आदेश से हुई हो, जलप्रयोग के लिए देय साधारण शुल्कों (ordinary charges) की ऐसी वापसी की मांग कर सकेगा जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत हो :

परन्तु यदि धारा 40 (1) के अधीन तैयार किए गए या पुनरावृत्त अधिकार-अभिलेख में या ऐसे अधिकार-अभिलेख में, जो धारा 40 (3) के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया हुआ समझा गया हो, प्रविष्ट या शासन और किसी व्यक्ति के मध्य किसी निर्बन्ध में अंगीकृत कोई जल अधिकार उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी कार्य के परिणाम स्वरूप सारतः कम हो जाता है तो कलेक्टर उस व्यक्ति के पक्ष में उस के अधिकार की कमी के सम्बन्ध में धारा 66 के अधीन प्रतिधन (compensation) का परिनिर्णय करेगा।

(3) इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अधीन नहर का जल प्रयोग करने के किसी भी अधिकार का अर्जन नहीं होगा या वह उसके अधीन अर्जित किया गया हुआ नहीं समझा जाएगा, और न ही राज्य शासन किसी व्यक्ति को जल देने के लिए बाध्य होगा।

22. राज्य शासन की प्रतिधन देने के पश्चात् किसी भी अनुसूचित नहर से सम्बद्ध अधिकार का निलम्बन या समाप्ति करने की शक्ति.—(1) शासन किसी भी समय किसी भी ऐसे अधिकार को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा, जिसका किसी भी व्यक्ति को नहर में या नहर पर हक प्राप्त हो, यदि ऐसे अधिकार प्रयोग से अन्य सेचकों के हित पर या नहर के अच्छे प्रबन्ध, नहर की उन्नति या उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) ऐसी प्रत्येक दशा में शासन ऐसे व्यक्ति को, जिस का अधिकार निलिम्बत या समाप्त हो गया हो प्रतिधन दिलवाएगा, जो धारा 66 के अधीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित (assess) किया जाएगा। इस धारा के प्रयोजनार्थ प्रतिधन नियत करने में कलेक्टर अधिकार के प्रकार और उस अवधि, जिस के मध्य अधिकार का लाभ उठाया गया हो, और ऐसे निलम्बन या समाप्ति से सम्भावित क्षति (damage) का ध्यान रखेगा।

23. प्रवेश करने और सर्वे इत्यादि करने की शक्ति.- कलेक्टर या अन्य व्यक्ति, जो कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश से कार्य कर रहा हो, किसी भी ऐसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, जो नहर से संलग्न हो या जिस में से कोई नहर बनाने का विचार हो, और वहां पर सर्वे या समतलन (level) कर सकेगा तथा अधोभूमि की खुदाई या उसमें छेदन (bore) कर सकेगा ;

और उपयुक्त भूमि-चिन्ह (land-marks), तलचिन्ह (level-marks) और जल-मापन यन्त्र (water gauges) बना तथा लगा सकेगा ;

और अन्य समस्त ऐसे कार्य कर सकेगा जो उक्त कलेक्टर के प्रबन्धाधीन विद्यमान (existing) या परियोजित (projected) नहर से सम्बद्ध किसी परिपृच्छा के उचित अभियोजन (prosecution) के लिए आवश्यक हों ;

भूमि साफ करने की शक्ति और जहां अन्यथा ऐसी परिपृच्छा पूर्ण न हो सके कलेक्टर या उक्त अन्य व्यक्ति किसी भी खड़ी फसल या बाड़ या जंगल या उस के भाग को काट सकेगा और साफ कर सकेगा ;

जल प्रदाय (water-supply) का निरीक्षण और आनियमन करने की शक्ति.—और किसी भी ऐसी भूमि, भवन या जल-मार्ग (water-course) पर, जिस के लिए कोई जल कर (water-rate) वसूल किया जा सकता हो, या सम्पूर्ण अथवा अंशरूपेण परिहरित (remitted) हो या उसके भूराजस्व में समाविष्ट हो, प्रदत्त-जल के प्रयोग का निरीक्षण या आनियम करने या उससे सिंचित अथवा जल-कर (water-rate) से प्रभारित भूमि को मापने और ऐसे समस्त कार्य करने के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो उक्त नहर का उचित आनियमन और प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों;

घरों में प्रवेश करने के अभिप्राय की सूचना.—परन्तु यदि उक्त कलेक्टर या व्यक्ति रहने के मकान से संयोजित किसी भवन या संलग्न आंगन या बाग में प्रवेश करना चाहे, जिसे किसी नहर से बहता हुआ पानी न दिया जाता हो, तो वह ऐसे भवन, आंगन या बाग के स्वामी (occupier) को सात दिन पहले अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा ;

प्रवेश द्वारा हुई क्षति के लिए प्रतिधन.—इस धारा के अधीन प्रवेश करने की प्रत्येक दशा में, कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसी क्षति के लिए, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से हो जाए, प्रतिधन का निर्धारण और उसकी चुकती करेगा।

24. मरम्मतों और आकस्मिक घटनाओं (accidents) की रोक-थाम के लिए प्रवेश करने की शक्ति.—किसी नहर में किसी आकस्मिक घटना (accident) के हो जाने पर या आकस्मिक घटना का भय होने पर कलेक्टर अथवा इस हेतु उस के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति उक्त नहर से संलग्न भूमियों पर प्रवेश कर सकेगा और वे समस्त कार्य कर सकेगा, जो आकस्मिक घटना को रोकने और मरम्मत करने के लिए आवश्यक हों ;

भूमि की क्षति के लिए प्रतिधन.— प्रत्येक ऐसी दशा में कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिये, जो इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हो जाए, धारा 66 के अधीन प्रतिधन निर्धारित करेगा और चुकाएगा।

25. नहर की मिट्टी जमा करने और किनारों की मरम्मत के लिये मिट्टी खोदने के हेतु नहर से संलग्न भूमि पर कब्जा करने की शक्ति और क्षति के लिए प्रतिधन.— (1) कलेक्टर या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष आदेशाधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति नहर से ऐसे अन्तर (distance) तक, जो शासन नियमों द्वारा निश्चित करे, किसी नहर से संलग्न भूमि पर निम्न लिखित प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकेगा :—

(क) नहर से खोदी गई मिट्टी उस भूमि पर जमा करने के लिए, या

(ख) नहर की मरम्मत के हेतु उस भूमि से मिट्टी खोदने के लिए,

इस सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दिए जाने पर वह ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिए, जो इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही से हो जाए, प्रतिधन नियत करेगा और चुकाएगा।

(2) जिस भूमि पर उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् कब्जा किया गया हो और वह तीन वर्ष से अधिक अवधि तक ऐसे कब्जे में रही हो, उसका स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त भूमि धारा 55 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी रूप से आर्जित की जाएगी।

26. अन्तर्वर्ती जल मार्ग (intervening water-course) द्वारा जल-प्रदाय (water-supply).— जब कभी कलेक्टर को किसी नहर से जल देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए और उसे यह आवश्यक मालूम हो कि इस प्रकार जल दिया जाना चाहिए और किसी विद्यमान जलमार्ग द्वारा ही दिया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलमार्ग (water-course) के संधारण (maintenance) के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उस दिन, जो उक्त सूचना के दिनांक से चौदह दिन पूर्व का न हो, यह कारण बतलाने की सूचना देगा कि उक्त रूप से जल क्यों न दिया जाए और उस दिन परिपृच्छा करने के उपरान्त कलेक्टर यह निश्चय करेगा, आया कि जल दिया जाए और यदि दिया जाए तो किन शर्तों पर उक्त रूप से उक्त जल मार्ग (water-course) द्वारा दिया जाए।

प्रार्थी तब तक उक्त जलमार्ग (water-course) का जल प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक उसने उक्त जलमार्ग के ऐसे किसी भी परिवर्तन के, जो उसे उस में से जल देने के लिए आवश्यक हो, व्यय चुका न दिए हों और उक्त जल-प्रदाय (water-supply) के प्रथम व्यय का वह भाग न चुका दिया हो जो कलेक्टर निश्चित करे।

उक्त प्रार्थी उक्त जल-मार्ग (water-course) के संधारण-व्यय (cost of maintenance) के अपने भाग का उस समय तक उत्तरदायी भी रहेगा, जब तक वह उसका प्रयोग करता रहे।

27. नया जल-मार्ग (water-course) बनाने के लिए प्रार्थनापत्र.—कोई भी व्यक्ति, जो नया जलमार्ग (water-course) बनाना चाहता हो, कलेक्टर को एक लिखित प्रार्थनापत्र दे सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(अ) कि उस ने उस भूमि के, जिसमें से वह उक्त जल-मार्ग (water-course) ले जाना चाहता हो, स्वामियों से उतनी भूमि पर जितनी उक्त जलमार्ग (water-course) के लिए आवश्यक होगी, कब्जे (acquire) का अधिकार प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया है;

(आ) कि वह अपनी ओर से और अपने व्यय पर उक्त अधिकार अर्जित करने के लिए समस्त आवश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाने की इच्छा करता है ;

(इ) कि वह उक्त अधिकार अर्जन करने में और जल-मार्ग (water-course) बनाने के समस्त व्यय स्वयं वहन (defray) करने के योग्य है।

28. तदुपरान्त कलेक्टर की प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि —

(अ) ऐसा जल-मार्ग (water-course) बनाना आवश्यक है, और

(आ) प्रार्थना पत्र के विवरण सत्य हैं

तो वह प्रार्थी को ऐसी राशि, जो कलेक्टर प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने के लिए आवश्यक समझे, और प्रतिधन की ऐसी राशि, जिस के सम्बन्ध में वह यह विचार करे कि उक्त राशि धारा 31 के अधीन देय होने की सम्भावना है, जमा करने के लिये कहेगा और उक्त राशि जमा कर दिए जाने पर वह उक्त जल-मार्ग (water-course) के अधिकतम उपयुक्त रेखाकरण (alingment) के सम्बन्ध में परिपृच्छा करवाएगा और उस भूमि का अंकन करेगा, जिस पर उस की सम्मति में जल-मार्ग बनाने के लिए कब्जा करना आवश्यक होगा और तुरन्त प्रत्येक ऐसे ग्राम में, जिस में से जल-मार्ग (water-course) ले जाने का विचार हो, इस आशय की एक सूचना प्रकाशित करेगा कि उक्त ग्राम की इतनी भूमि इस प्रकार अंकित की गई है।

29. विद्यमान जलमार्ग (water-course) के हस्तांतरण (transfer) के लिए प्रार्थना पत्र.— कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि कोई विद्यमान जल-मार्ग (water course) उसके वर्तमान (existing) स्वामी से उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तो वह निम्नलिखित रूप में विवरण देते हुए कलेक्टर के पास प्रार्थना पत्र दे सकेगा—

(अ) कि उसके उक्त जल-मार्ग (water-course) के स्वामी से उक्त हस्तांतरण करने का असफल प्रयत्न किया है ;

(आ) कि उस की यह इच्छा है कि कलेक्टर उस की ओर से और उसके व्यय पर उक्त हस्तांतरण के लिए समस्त आवश्यक कार्य करे ;

(इ) कि वह उक्त हस्तांतरण के समस्त व्यय जुटा सकने के योग्य है।

इस के पश्चात् प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि—

(क) उक्त हस्तांतरण उस जल-मार्ग (water-course) से सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक है, और

(ख) प्रार्थनापत्र में दिए गए विवरण ठीक हैं

तो कलेक्टर प्रार्थी को अपने पास ऐसी राशि, जो वह उक्त हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने और प्रतिधन की ऐसी राशि, जो धारा 31 के उपबन्धों के अधीन देय हो जाए, जमा कराने के लिए कहेगा और ऐसी राशि जमा कर दिए जाने पर वह प्रार्थनापत्र की एक सूचना प्रत्येक प्रभावित ग्राम में प्रकाशित करेगा।

30. जल-मार्गों (water-courses) के हस्तांतरण या निर्माण पर आपत्तियां, उनकी परिपृच्छा और उनका निश्चय.—(1) जब यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के अधीन सूचना-प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के मध्य ऐसी भूमि या जलमार्ग (water course) में, जो सूचना में निर्दिष्ट हो, स्वत्व रखने वाला व्यक्ति कलेक्टर के पास उस संरचना (construction) या हस्तांतरण (transfer) से सम्बद्ध, जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, अपनी आपत्तियों का विवरण देते हुए उपरोक्त रूप से प्रार्थनापत्र देता है, तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह ऐसे दिन, जो उक्त सूचना में वर्णित होगा, या अन्य ऐसे दिन, जिस के लिए कार्यवाहियां स्थगित की जाए, विवादग्रस्त विषय की परिपृच्छा प्रारम्भ करेगा या स्थितिअनुसार उक्त आपत्तियों की मान्यता के सम्बन्ध में परिपृच्छा आरम्भ करेगा ।

(2) इस प्रकार नामांकित दिनांक या उपरोक्त अनुवर्ती दिनांक को कलेक्टर स्थितिअनुसार विवाद या आपत्ति की सुनवाई और निश्चय आरम्भ करेगा ।

31. कब्जा लेने से पहले जल-मार्ग (water-course) बनाने या उसके हस्तांतरण के व्यय प्रार्थी चुकाएगा.—यथास्थिति धारा 27 या धारा 29 के अधीन किसी भी प्रार्थी को तब तक उक्त भूमि या जल-मार्ग (water-course) का कब्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामांकित (named) व्यक्ति को ऐसी राशि, जो कलेक्टर उक्त रूप से कब्जे में ली गई या हस्तांतरित भूमि या जलमार्ग के लिए और ऐसी किसी क्षति के लिए, जो उक्त भूमि का अंकन करते समय या कब्जा लेने में हुई हो, प्रतिधन के रूप में निश्चित करे, उक्त कब्जे या हस्तांतरण से उद्भूत समस्त व्ययों के साथ न चुका दी हो ।

प्रतिधन निश्चय करने में प्रक्रिया.—इस धारा के अधीन दिये जाने वाले प्रतिधन का निर्धारण धारा 66 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, किन्तु कलेक्टर यदि उस व्यक्ति की, जिसे प्रतिधन दिया जाना है, ऐसी इच्छा हो तो प्रतिधन का परिनिर्णय इस प्रकार से कब्जे में की गई या हस्तांतरित भूमि या जल मार्ग (water-course) के सम्बन्ध में देय लगान (rent charge payable) के रूप में कर सकेगा ।

प्रतिधन और व्ययों की वसूली.—यदि उक्त प्रतिधन और व्यय उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति की मांग पर नहीं चुकाए जाते तो धनराशि कलेक्टर वसूल कर सकेगा और वसूल हो जाने पर उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति को चुका देगा ।

32. वे शर्तें, जो उस प्रार्थी, जिसे कब्जा दिया गया हो पर बाध्य होंगी.— (1) जब उक्त किसी प्रार्थी ने धारा 31 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन किया हो तो उसे उपरोक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) का कब्जा दे दिया जाएगा और तदुपरान्त उस पर और उसके स्वत्व के प्रतिनिधि पर निम्नलिखित नियम और शर्तें बाध्य होंगी :—

(क) समस्त दशाओं में—

प्रथम-उक्त जलमार्ग (water course) के निर्माण से पूर्व विद्यमान रास्ते और उस से अवरुद्ध (intercepted) जलोत्सारण के लिए और आस पास की भूमियों की सुविधा के लिए उस के आर पार उपयुक्त यातायात का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक कर्म प्रार्थी द्वारा बनाए जाएंगे और वह या उस के स्वत्वों का प्रतिनिधि कलेक्टर के समाधानानुसार उनका संधारण करेगा।

दूसरी.—धारा 28 के उपबन्धों के अधीन जलमार्ग के लिए कब्जे में की गई भूमि केवल उक्त जल-मार्ग (water-course) के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

तीसरी.—प्रस्तावित जलमार्ग (water course) प्रार्थी द्वारा, जब प्रार्थी को भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, उसके पश्चात् एक वर्ष के मध्य, कलेक्टर के समाधानानुसार पूरा किया जाएगा।

(ख) उन दशाओं में जहां भूमि पर कब्जा या जलमार्ग (water-course) का हस्तांतरण लगान (rent charge) की शर्तों (terms) पर होता है—

चौथी.—प्रार्थी या उसके स्वत्व का प्रतिनिधि उस समय तक, जब तक वह उक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) पर काबिज रहे, उसके लिए उस मान (rate) से और उन दिनों लगान देगा, जो कलेक्टर प्रार्थी को कब्जा देने के समय निश्चित करे।

पांचवी.—यदि इन नियमों के भंग से भूमि के कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाए, तो उपरोक्त लगान (rent) चुकाने का उत्तरदायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि ने भूमि को उस की मौलिक दशा में वापस न कर दिया हो या उक्त भूमि की किसी भी क्षति के लिए प्रतिधन के रूप से ऐसी राशि और ऐसे व्यक्तियों को, न चुका दी हो, जो कलेक्टर निश्चित करे।

छठी.—कलेक्टर उस व्यक्ति का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर, जो उक्त लगान (rent) या प्रतिधन लेने का हकदार हो, देय लगान (rent) की राशि का निश्चय करेगा या उक्त प्रतिधन की राशि का निर्धारण करेगा और यदि प्रार्थी या उसका स्वत्व का प्रतिनिधि उक्त लगान (rent) या प्रतिधन नहीं चुकाता तो कलेक्टर उस राशि को उसके देय होने के दिनांक से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय ब्याज के साथ वसूल करेगा और वसूल हो जाने पर उसे उसके पाने के हकदार व्यक्ति को चुका देगा।

(2) यदि इस धारा द्वारा विहित नियमों और शर्तों का पालन नहीं होता या इस अधिनियम के अधीन निर्मित या हस्तांतरित जलमार्ग (water-course) का लगातार तीन वर्ष तक प्रयोग नहीं होता तो प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि का उक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) में कब्जा करने का अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।

33. कलेक्टर का नहरों में से मोरियां (outlets) बनाना.—कलेक्टर किसी नहर से किसी जलमार्ग (water-course) में जल-प्रदाय (water-supply) करने का आनियमन करने के लिए जलद्वार (sluice) या मोरी (outlet) बना सकेगा या मरम्मत कर सकेगा या उसे आपरिवर्तित कर सकेगा।

34. दीर्घ अन्तर तक साथ साथ बहने वाले जलमार्गों (water-courses) को एक जलमार्ग (water-course) में बदलने की शक्ति.—(1) उन दशाओं में जहां जलमार्ग (water-courses) साथ साथ बहते हों या इस प्रकार स्थित हों कि वे जल-प्रदाय (water-supply) का मितव्ययिता से प्रयोग करने (economical use) में या उचित प्रबन्ध करने में बाधा पहुंचाते हों तो कलेक्टर, यदि इस प्रयोजन के लिए उसे प्रार्थनापत्र दिया जाए, या स्वयं स्वामियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसके समाधानानुसार जलमार्गों (water-courses) को मिलाएं या उनके सम्बन्ध में ऐसी पद्धति स्थापन्न करें, जो उसने अनुमोदित कर दी हो।

(2) यदि स्वामी ऐसे समय में, जो कलेक्टर नियत करे उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश का पालन न कर सकें, तो वह स्वयं कर्म निष्पादित कर सकेगा।

(3) यदि कहीं उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई जलमार्ग (water-course) पुनः बनाया गया हो या नई पद्धति स्थानापन्न की गई हो तो कलेक्टर जल का वह भाग नियत करेगा, जो जलमार्ग (water-course) को प्रयोग में लाने के अधिकारी व्यक्ति प्रयोग करेंगे।

35. वृद्धियों (extensions), और आपरिवर्तनों (alterations) के लिए कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रयोज्य प्रक्रिया.—किसी जलमार्ग बनाने के लिए भूमि पर कब्जा करने के हेतु यहां से पूर्व व्यवस्थित प्रक्रिया किसी जलमार्ग (water-course) की किसी भी वृद्धि या आपरिवर्तन (alterations) के लिए या जल-मार्ग (water-course) की सफाइयों (clearances) की मिट्टी जमा करने के लिए भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त होगी।

36. धारा 33 और 34 के अधीन कर्म निष्पादन करने का व्यय किस के द्वारा देय होगा.—धारा 33 या धारा 34 के अधीन प्रत्येक दशा में कर्म निष्पादन या पूर्ण करने का व्यय वह व्यक्ति या वे व्यक्ति चुकाएंगे, जो जलमार्ग (water-course) से लाभ उठा रहे हों, जिसका निश्चय प्रत्येक दशा में कलेक्टर करेगा।

37. लाभधारियों द्वारा श्रम प्रदाय करने का निदेश देने की राज्यशासन की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि लाभधारी निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए राज्यशासन को किसी नहर के सम्बन्ध में अकुशल श्रम (unskilled labour) निःशुल्क प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(क) निर्माण,

(ख) कुशलता पूर्वक संधारण,

(ग) रेत की वार्षिक सफाई,

(घ) नहर से सम्बद्ध कोई भी आवश्यक कार्य निष्पादित करना।

38. श्रम व्यय उन स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जो भूमि से लाभ उठाएंगे.—(1) शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई नहर किसी ऐसी सम्पदा या सम्पदाओं की भूमि सींचने के लिए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएंगी, किसी नदी (river), सरिता (stream), उपनदी (creek) या अन्य नहर से बनाई जाएगी और ऐसी संरचना (construction) का व्यय सम्पूर्ण रूपेण या अंश रूपेण ऐसी भूमि के स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिन को नहर से लाभ पहुँचे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध नई नहरों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होंगे.—अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के निर्माण, मरम्मतों, संधारण (maintenance) और प्रबन्ध से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन जारी की गई शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में बनाई गई नई नहरों पर प्रयुक्त होंगे।

39. धारा 37 और धारा 38 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर की शक्ति — धारा 37 और धारा 38 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा—

(क) प्रत्येक सेचक द्वारा दिऐ जाने वाले श्रम का या किये जाने वाले काम का परिमाण निश्चित कर सकेगा,

(ख) प्रबन्धित श्रमिकों की उपस्थिति, वितरण (distribution) और नियन्त्रण या काम करने के ढंग का आनियमन कर सकेगा,

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति का श्रम निर्धारित कर सकेगा, जो इस धारा के अधीन दिए गए आदेश का पालन नहीं कर पाता, और उक्त श्रम का व्यय वसूल कर सकेगा, और

(घ) इस प्रकार वसूल किए गए समस्त व्ययों की एक निधि बनाएगा और उसे उन नहरों, जिन पर अधिसूचना प्रयुक्त होती हो, के लिए लगाए गए भाड़े के श्रमिकों की रसद (Provision) पर या धारा 40 में विशिष्ट अधिकार-अभिलेखों के उपबन्धों, यदि कोई हो, के प्रतिबन्धाधीन उन के हित से सम्बद्ध अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए व्यय कर देगा :

परन्तु उपरोक्त रूप से निर्धारित व्यय उस राशि से अधिक नहीं बढ़ेगा, जो श्रमिकों में से प्रत्येक ऐसे श्रमिक, जिसके विषय में अपराध हुआ है, के प्रत्येक दिन के श्रम के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित हो।

40. नहर के लिए अभिलेख तैयार करने की शक्ति.—(1) जब कभी राज्य शासन विशेष आदेश द्वारा या इस अधिनियम के प्राधिकाराधीन बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा करने का आदेश दे, तो कलेक्टर किसी भी नहर के लिये एक अभिलेख तैयार करेगा या पुनारावृत करेगा, जिस में निम्नलिखित समस्त विषय या इन में से कोई भी विषय प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्—

(क) सिचाई की प्रथा या नियम,

(ख) जल के अधिकार और वे शर्तें, जिन के अनुसार अधिकार का उपयोग किया जाए,

(ग) चक्कियां (mills) लगाने, उनकी मरम्मत करने उन के पुनर्निर्माण और चलाने के अधिकार और वे शर्तें, जिन के अनुसार इन अधिकारों का उपयोग किया जाए, और

(घ) अन्य ऐसे विषय, जो शासन इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा विहित करे।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए या पुनरावृत्त अभिलेख में की गई प्रविष्टियां अभिलिखित विषयों से सम्बद्ध विवाद के साक्ष्य के सामान संगत होंगी और तब तक सत्य मानी जाएंगी, जब तक उसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय या विधिपूर्वक नई प्रविष्टियां न कर दी जाएं :

परन्तु किसी ऐसी प्रविष्टि का इस प्रकार अर्थ (construed) नहीं निकाला जाएगा, जिससे इस अधिनियम द्वारा शासन को प्रदत्त कोई भी शक्तियां सीमित हो जाएं।

(3) जब उपधारा (1) में कथित (enumerate) समस्त या किसी विषय को प्रदर्शित करने वाला अभिलेख शासन द्वारा स्वीकृत भूराजस्व के किसी बन्दोबस्त (settlement) के दौरान बनाया जा चुका हो, और मालअधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो चुका हो, तो वह अभिलेख इस धारा के अधीन बनाया गया हुआ समझा जायगा।

(4) स्वत्व रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कलेक्टर या कलेक्टर के निदेशाधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अधीन ठीक प्रकार से अभिलेख तैयार करने के लिए समस्त आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

(5) जहां तक हो सके हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 के अध्याय 4 के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे अभिलेख को तैयार करने और पुनरावृत्त करने में प्रवृत्त होंगे।

जल-कर (water-rates)

41. जल-कर (water-rates) लगाना .—(1) स्वामियों या सेचकों के साथ किए गए किसी निर्बन्ध की शर्तों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्राधिकृत रीति से किसी नहर का जल प्रयोग करने के लिए कर लगाया जाएगा या कर लगाए जाएंगे। ऐसे कर या करों को जल-कर संग्रह करने के व्यय और पद्धति के संधारण (maintenance) और प्रवर्तन-व्ययों (operation) का उचित ध्यान रखते हुए निश्चित किया जाएगा।

(2) शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपरोक्त कर या करों (rate or rates) के अतिरिक्त या बदले में नहर का जल प्राप्त करने वाली भूमि पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व, भूमि की श्रेणी अनसिंचत से सिंचित में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु निर्धारण का नया मान उस से अधिक नहीं बढ़ेगा, जो बन्दोबस्त के समय उसी ग्राम में या उसकी निकटवर्ती उसी प्रकार की सिंचित भूमियों के लिए नियत हो :

परन्तु यह भी कि शासन कुछ फसलों के लिए, जो शासन नियत करेगा, उक्त भूमियों पर ऐसे कर (rate) या करों (rates) के अनुसार निर्धारण जारी रखने की स्वीकृति दे सकेगा, जिस के अनुसार वे सींची जाने से ठीक पूर्व निर्धारित की जाती थीं।

(3) ऐसे जल के लिए जो प्राधिकार या प्राधिकृत रीति के बिना लिया या प्रयोग किया गया हो शासन अधिसूचना द्वारा एक विशेष कर (special rate) भी लगा सकेगा।

(4) जैसा कि शासन सामान्य या विशेष नियम द्वारा निदेशित करे उसके अनुसार उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लगाए गए कर (rate or rates) उन व्यक्तियों पर आरोपणीय (leviable) होंगे, जो जल से लाभ उठा रहे हों।

(5) उपरोक्तानुसार निर्बन्ध (agreement) की शर्तों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, इस धारा के अधीन आरोपित कर (rate) या करों (rates) की आय उस रीति से व्यवस्थापित की जाएगी, जो शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे।

42. अनधिकृत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान न होने पर उत्तरदायित्व.—यदि किसी जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल अनधिकृत रूप में प्रयोग किया जाता है और यदि वह व्यक्ति, जिस के कार्य या प्रमाद से ऐसा प्रयोग हुआ हो, पहचाना न जा सके तो वह व्यक्ति, जिस को भूमि पर ऐसा जल बहा हो, यदि उक्त भूमि को उस से लाभ पहुंचा हो, या यदि उक्त व्यक्ति की पहचान न हो सके, या यदि उक्त भूमि को उससे लाभ न पहुंचा हो तो वे समस्त व्यक्ति, जिन से उक्त जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में वसूली की जा सकती हो, संयुक्त रूप से या अन्यथा, जैसी परिस्थिति हो, उक्त प्रयोग का व्यय देने के उत्तरदायी होंगे।

43. जल के व्यर्थ बहने पर शास्ति.—यदि किसी जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त (supplied) जल को व्यर्थ बहने दिया जाता है और यदि कलेक्टर की परिपृच्छा से उस व्यक्ति की खोज न की जा सके, जिस के कार्य या प्रमाद से जल व्यर्थ बहा हो, तो वे समस्त व्यक्ति, जिन से ऐसे जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में वसूली की जा सकती हो, संयुक्त रूप से इस प्रकार व्यर्थ बहे हुए जल का व्यय देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

44. शास्तियों के अतिरिक्त वसूली योग्य राशियां.—अनधिकृत प्रयोग या जल के व्यर्थ बहने के समस्त व्यय (charges) उक्त प्रयोग या हानि के कारण वहन की गई (incurred) शास्तियों के अतिरिक्त वसूल किए जा सकेंगे।

धारा 42 और धारा 43 के अधीन समस्त प्रश्नों का निश्चय कलेक्टर करेगा।

अध्याय 5

अनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर प्रयुक्त हो सकने वाले उपबन्ध

45. यह अध्याय अनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवर्तनीय होगा.—(1) उस दशा को छोड़ कर जब शासन धारा 80 के अधीन अन्यथा निदेश दे इस अध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रवृत्त होंगे, जो अनुसूची 2 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों।

(2) **मैनेजर की नियुक्ति.**—जब किसी नहर के स्वामित्व में कई भागीदार (share-holders) हों या जहां यह निश्चय करना कठिन हो कि कौन कौन से व्यक्ति भागीदार (share-holder) है या भागीदारों (share-holders) या उन में से किसी के स्वत्व की सीमा क्या है तो कलेक्टर, यदि वहां कोई उपयुक्त मैनेजर या प्रतिनिधि न हो, एक लिखित उद्घोषणा या सूचना द्वारा भागीदारों (share-holders) से यह अपेक्षा कर सकेगा कि भागीदार (share-holders) एक नियत अवधि में किसी योग्य व्यक्ति को नहर का मैनेजर और अपना प्रतिनिधि नामांकित करें और उन के ऐसा न कर सकने पर वह स्वयं किसी व्यक्ति को उक्त नहर का मैनेजर और भागीदारों (share-holders) का प्रतिनिधि नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तदुपरान्त वे समस्त कार्य और कार्यवाहियां कर सकेगा, जिसे भागीदार (share-holders) या उनमें से कोई भी व्यक्ति उक्त नहर के प्रबन्ध के सम्बन्ध में विधिपूर्वक करने के योग्य हो, और इस प्रकार उस ने, जो भी कार्य और कार्यवाहियां की हों, वे उक्त नहर के स्वामित्व में भाग रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य होंगी।

46. राज्यशासन की धारा 40 के उपबन्धों को किसी भी नहर पर प्रयुक्त करने की शक्ति.—राज्य शासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि अभिलेखों की तैयारी और

पुनरावृत्ति से सम्बद्ध धारा 40 के समस्त या कोई भी उपबन्ध किसी भी नहर पर प्रयुक्त हो सकेंगे और उक्त घोषणा हो जाने पर उक्त उपबन्ध, जहां तक हो सके, तदनुसार प्रयुक्त होंगे।

47. नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध, या दोनों अपने हाथ में ले लेने की शक्ति.—(1) शासन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों निम्नलिखित के प्रतिबन्धाधीन अपने हाथ में ले लेना विधिवत् होगा—

(क) उक्त नहर के स्वामी द्वारा ऐसा करने की अनुमति दे देने पर और ऐसी शर्तों के (यदि कोई हों) प्रतिबन्धाधीन, जिन पर उक्त अनुमति दी गई हो;

(ख) यदि परिपृच्छा (enquiry) करने के पश्चात् शासन का यह समाधान हो जाता है कि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से किए गए नियंत्रण या प्रबन्ध से उन व्यक्तियों की सम्पत्ति या स्वास्थ्य को अत्यंत हानि (grave injury) पहुंचती है, जिनके आसपड़ोस में भूमि है;

(ग) इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन दिए गए आदेशों का जान बूझ कर उल्लंघन करने या उल्लंघन करते रहने के परिणाम स्वरूप।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों अपने हाथ में ले लिए जाते हैं तो शासन उसके सम्बन्ध में समस्त या किसी भी ऐसे अधिकार और शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जिस का प्रयोग स्वामी उक्त रूप से नियन्त्रण या प्रबन्ध या दोनों को अपने हाथ में लेने की दशा में विधिवत् रूप से कर सकता था और उक्त शक्तियां या उन में से कोई सी शक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकेगा, किन्तु कोई प्रतिकूल डिक्री या निर्बन्ध न होने की दशा में शासन के लिए नहर से प्राप्त आय और व्यय का लेखा समय समय पर उक्त स्वामी को देना अनिवार्य होगा और शासन नहर किसी भी समय स्वामी को वापस कर सकेगा।

48. उक्त रूप से नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों शासन द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के पश्चात् स्वामी की यह मांग करने का अधिकार कि नहर शासन द्वारा अर्जित (acquire) कर ली जाएगा.—जब धारा 47 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) या खन्ड (ग) के अधीन शासन द्वारा नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों अपने हाथ में ले लिया जाए और उक्त नियंत्रण या प्रबन्ध छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए जारी रहे तो नहर का स्वामी लिखित सूचना दे कर कलेक्टर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त नहर शासन अर्जित (acquire) कर ले।

49. स्वामी की मांग पर नहर अर्जित करने की शक्ति.—धारा 48 के अधीन सूचना मिलने पर राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित करेगा कि उक्त अधिसूचना में बतलाए गए दिनांक के पश्चात्, जो कि अधिसूचना के दिनांक से तीन महीने बाद का होगा, उक्त नहर अर्जित (acquire) कर ली जाएगी और उक्त अधिसूचना देने के उपरान्त कलेक्टर धारा 57 और 58 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

50. सिंचाई और जल-कर की सीमाएं नियत करने और जल वितरण का आनियमन करने की शक्ति.—राज्यशासन कलेक्टर से किसी नहर के सम्बन्ध में परिपृच्छा (enquiry) कराने के पश्चात्, निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के सम्बन्ध में आदेश दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) वे सीमाएं नियत करना, जिन के भीतर भूमि उक्त नहर से सिंचित होगी;

(ख) जसा उचित समझा जाए उसके अनुसार स्वामी द्वारा आरोपण-योग्य जल-करों (water-rates) का परिमाण और प्रकार और वे शर्तें, जिन पर उक्त कर चुकाए जाएंगे, निलम्बित, परिहृत या वापस किए जाएं ;

(ग) उक्त नहर में या उक्त नहर से जल प्रदाय और जल वितरण करने का आनियमन :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसी भूमि सिंचाई से वंचित कर दी जाए, जिस की पिछले लगातार तीन वर्ष से नहर से सिंचाई की जा रही हो, या यदि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के कारण उक्त नहर से नहर के स्वामी की आय सारतः कम हो जाती है तो उक्त भूमि के स्वामियों या नहर के स्वामी को शासन द्वारा या इसके द्वारा निश्चित किए व्यक्तियों द्वारा ऐसा प्रतिधन दिया जाएगा जो कलेक्टर उचित समझे :

परन्तु यह भी कि यदि नहर के स्वामी ने शासन की सम्मति में अपनी शक्तियों का मनमाने या अनुचित (inequitable) ढंग से प्रयोग किया हो तो इस धारा के अधीन वह प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा।

51. कुछ दशाओं में नहर के जल-करों (water-rates) का राज्य शासन द्वारा संग्रहण.—(1) राज्य शासन स्वामी की प्रार्थना पर नहर के सम्बन्ध में आरोपण योग्य जलकरों (water-rates) का संग्रहण ऐसी अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा, जिस से स्वामी सहमत हो, और तदुपरान्त—

(क) उक्त संग्रहण का आनियमन कर सकेगा और उन व्यक्तियों का निश्चय कर सकेगा जो संग्रहण का कार्य करेगा;

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त संग्रहण करने में की गई सेवा का भुगतान करने के लिए तीन प्रतिशत से अनधिक राशि संग्रहीत राशि में से काट ली जाए।

(2) जिस अवधि के लिए नहर के सम्बन्ध में आरोपण योग्य जलकरों (water-rates) का संग्रहण शासन अपने हाथ में लेता है, उस अवधि तक उक्त कोई भी कर वसूल करने के हेतु कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा।

अध्याय 6

समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय उपबन्ध

52. यह अध्याय समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होगा :—सिवाए उसके, जिसकी आगे स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है, इस अध्याय के उपबन्ध समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे चाहे वे नहरें अनुसूची I में समाविष्ट हो या अनुसूची 2 में।

53. स्वामी की सहमति या निर्णय का निश्चय कैसे किया जाएगा.—जब किसी नहर के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उठे, जिस का निश्चय इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन स्वामी की प्रार्थना, सहमति या निर्णय द्वारा किया जाना है और उक्त नहर का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों में निहित हो और वे उस प्रार्थना, सहमति या निर्णय के सम्बन्ध में सहमत नहीं होते तो ऐसे किसी विषय में स्वामियों की ओर से, कलेक्टर के लिए कार्यवाही

करना विधिवत् होगा और उक्त किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर की प्रार्थना, सहमति या निर्णय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य (binding) होगा, जो उक्त नहर के स्वामित्व में कोई भी भाग रखता हो ।

उक्त प्रत्येक परिस्थिति में कलेक्टर ऐसे भागीदार या भागीदारों की इच्छाओं का उचित ध्यान रखेगा, जिनका स्वत्व अधिक हो और जब प्रश्न इस प्रकार का हो, जिसमें शासन को कोई कार्यवाही करनी पड़े तो उक्त भागीदार या भागीदारों की इच्छाएं मान्य होंगी और कलेक्टर द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी ।

54. विवादों का निपटारा.—पूर्ववर्ती धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर नहर या जलमार्ग (water-course) के स्वामित्व, निर्माण, प्रयोग या संधारण के सम्बन्ध में दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य पारिस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में जब कोई विवाद उठे और उक्त कोई भी व्यक्ति विवाद के विषय का विवरण देते हुए कलेक्टर को लिखित रूप में प्रार्थनापत्र दे तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह उक्त सूचना में नामांकित दिन या ऐसे दिन जिस तक कार्यवाहियां स्थगित की जाएं, विवाद के विषय में परिपृच्छा करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(2) इस प्रकार से नामांकित दिन या पूर्वोक्त अनुवर्ती दिन कलेक्टर विवाद की सुनवाई और निश्चय करने के लिए निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा, अर्थात्—

(क) यदि विवाद का सम्बन्ध नहर के स्वामित्व या उक्त नहर के जल प्रयोग में स्वामियों के पारस्परिक अधिकार या नहर के निर्माण या संधारण या उक्त रूप से निर्माण या संधारण के व्ययों के किसी भाग की चुकती या नहर के जल-प्रदाय के बटवारे से हो तो कलेक्टर हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 के उपबन्ध के अधीन माल न्यायालय के रूप में कार्यवाही करेगा और उस अधिनियम के उपबन्धों अपीलों, पुनरावृत्तियों और पुनरीक्षणों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे ;

(ख) यदि विवाद का सम्बन्ध जल मार्ग (water-course) से हो तो कलेक्टर माल अधिकारी के रूप में मुकद्दमे की सुनवाई और निश्चय करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा, जो उसे उचित प्रतीत हो और उक्त आदेश दिए जाने के दिनांक से बोई गई या उगायी हुई किसी फसल के लिए जल-प्रयोग या जल-वितरण के सम्बन्ध में तब तक निर्णायक रहेगा जब तक फाइनैन्शियल कमिश्नर के पास अपील किए जाने पर उसे रद्द नहीं किया जाता । ऐसे प्रत्येक मुकद्दमें में अपील किए जाने पर फाइनैन्शियल कमिश्नर का आदेश अन्तिम होगा ।

55. नहरों के लिए भूमि का अर्जन.—(1) जिस व्यक्ति ने शासन से नहर बनाने की अनुमति ले ली हो या जो व्यक्ति नहर का स्वामी हो वह उक्त नहर के प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि लेने के लिए कलेक्टर को लिखित प्रार्थना पत्र दे सकेगा ।

(2) यदि कलेक्टर की यह सम्मति हो कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया जाए तो वह उसे अपनी सिफारिश के साथ शासन के आदेशार्थ भेज देगा ।

(3) यदि शासन की सम्मति में प्रार्थना पत्र चाहे पूर्ण रूपेण या अंशरूपेण स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तो वह यह घोषणा कर सकेगा कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन (public purpose) के लिए भूमि की आवश्यकता है और उसके अधीन आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देगा।

56. सहमति लेकर या अन्यथा नहर अर्जित करने की शक्ति.—जब किसी नहर को सार्वजनिक हित (public interest) में अर्जित करना शासन को उचित तथा आवश्यक जान पड़े तो राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उक्त अधिसूचना में नामांकित दिन के पश्चात्, जो अधिसूचना के दिनांक से छः महीने के पूर्व का नहीं होगा, उक्त नहर अर्जित कर ली जाएगी।

57. प्रतिधन की मांग करने के लिए सूचना.—उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथासम्भवशीघ्र, कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दिलवाएगा जिस में यह बतलाया जाएगा कि राज्यशासन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त नहर अर्जित करना चाहता है और उसके अर्जन के सम्बन्ध में प्रतिधन की मांगें उसके सम्मुख प्रस्तुत की जाए।

58. मांगों के सम्बन्ध में परिपृच्छा (inquiry).—(1) कलेक्टर उक्त मांगों के सम्बन्ध में परिपृच्छा करने और वह प्रतिधन राशि निश्चित करने के लिए, जो मांगकर्ता (claimant) को दी जानी चाहिए, कार्यवाही करेगा। ऐसा प्रतिधन निर्धारित करते समय कलेक्टर धारा 66 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा, किन्तु इस धारा के प्रयोजनार्थ वह नहर के इतिहास, उस पर किए गए व्यय और स्वामियों के लाभों का भी ध्यान रखेगा।

(2) **मांगों की परिसीमा.**—धारा 57 के अधीन सूचना के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रतिधन के लिये कोई भी मांग तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगी जब तक कलेक्टर का यह समाधान न हो जाए कि उक्त अवधि के भीतर मांग न करने के लिए मांगकर्ता (claimant) के पास पर्याप्त कारण थे।

59. नहर का शासन में निहित होना.—(1) शासन अधिसूचना द्वारा वह दिन घोषित करेगा, जिस दिन से नहर उसके द्वारा अर्जित कर ली गई है।

(2) उक्त नहर के स्वामी के पक्ष में प्रतिधन के परिनिर्णय (award of compensation) के अधीन रहते हुए, जब शासन नहर अर्जित कर लेता है तो—

(क) उस में उसके स्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व तुरन्त अन्त तथा समाप्त हो जाएंगे;

(ख) ऐसे अधिकारों के अधीन रहते हुए, जिन के अन्तर्गत कोई व्यक्ति नहर से सिंचाई करने के लिए जल ले सकता हो, उक्त नहर शासन में तुरन्त निहित हो जाएगी और उसकी निरपेक्ष सम्पत्ति (absolute property) होगी।

60. नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण (lines of natural drainage) में जल प्रवाह का आनियमन करने और उन में बाधा डालने से मना करने या उनकी बाधा हटाने का आदेश देने की शक्ति.—शासन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण के जल प्रवाह को, कर्मों का निर्माण

करके या उनको हटा कर या अन्यथा आनियमित करने की शक्ति स्वयं धारण कर सकेगा और जब कभी उक्त शासन को कलेक्टर द्वारा परिपृच्छा करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि किसी नहर के जल प्रदाय या किसी भूमि की कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या लोक सुविधा (public-convenience) पर किसी नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या जलोत्सारण की बाधा से क्षतिपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो वह उपरोक्त रूप से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में परिभाषित सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा उपस्थित करना प्रतिषिद्ध कर सकेगा या यह आदेश दे सकेगा कि उक्त सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा हटा दी जाए या उसे रूपान्तरित कर दिया जाए।

61. अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् बाधा (obstruction) हटाने की शक्ति और प्रतिधन की चुकती.—(1) कलेक्टर उक्त प्रकाशन के पश्चात् उक्त बाधा (obstruction) डालने वाले या इस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को एक आदेश, उस में नियत समय के भीतर, बाधा (obstruction) हटाने या उसमें रूपान्तर करने के लिए दे सकेगा।

(2) कलेक्टर बाधा (obstruction) को स्वयं हटा सकेगा या उसको रूपान्तरित कर सकेगा—

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, उक्त रूप से नियत समय के भीतर उस आदेश का पालन न करे; और

(ख) उस दशा में जब कि बाधा (obstruction) किसी व्यक्ति ने उपस्थित न की हो या उस पर किसी का नियन्त्रण न हो।

(3) कलेक्टर यह निश्चय करेगा कि बाधा (obstruction) हटाने या उसको रूपान्तरित करने का व्यय किस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, और वह प्रतिधन राशि निश्चय करेगा, जो बाधा (obstruction) हटाने या उस में रूपान्तर करने से क्षतिग्रस्त किसी व्यक्ति को देय हो और उस व्यक्ति का निश्चय करेगा जिसके द्वारा उक्त प्रतिधन देय होगा:

परन्तु मनमानी या अनुचित (inequitable) कार्यवाही द्वारा प्राप्त किसी लाभ के लिए कोई भी प्रतिधन नहीं दिया जायगा।

62. जल-प्रवाह का आनियमन करने और बाधाएं (obstructions) रोकने या हटाने की कलेक्टर की शक्ति.—जब शासन धारा 60 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अधिसूचना द्वारा किसी नदी, उपनदी या प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण में जलप्रवाह का आनियमन करने की शक्ति अपने हाथ में ले लेता है तो वह उक्त शक्ति विहित नियमों के अनुसार अपनी ओर से पालन करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकेगा। उक्त रूप से प्राधिकृत कलेक्टर उक्त नियमों का निष्पादन करते समय धारा 61 द्वारा प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उसके प्राधिकार के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही करने की शक्ति भी होगी, जिसे करने के लिए शासन कलेक्टर से परिपृच्छा (enquiry) करवाने के पश्चात् धारा 60 द्वारा अधिकृत हो। उक्त प्राधिकार राजपत्र में फिर से अधिसूचना का प्रकाशन किए बिना प्रत्येक अवसर पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

63. अनुसूची 2 के अन्तगत नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण या संधारण से सम्बद्ध शक्तियां.—(1) कलेक्टर किसी भी समय अनुसूची 2 के अन्तर्गत किसी नहर के लाभधारी को—

(क) नहर से सम्बन्धित किन्हीं तटबन्दों, रक्षा कर्मों, जलाशयों, कूलों, जलमार्गों, जल द्वारों, मोरियों (embankments, protective works, reservoirs, channels, water-courses, sluices, outlets) और अन्य कर्मों की उचित रीति से मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा ;

(ख) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते पर यातायात की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, जो नहर बनाने से पहले प्रयोग में लाया जाता था, नहर पर कहीं भी आरपार, बीच में से या ऊपर उपयुक्त पुल, पुलिया, या इसी प्रकार के कर्म का उचित रीति से निर्माण करने, उनकी मरम्मत करने या उनके संधारण का आदेश दे सकेगा ;

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते या किसी नहर, जलोत्सारण या जलमार्ग, जो नहर बनाने से पहले प्रयोग में लाए जाते थे, के आरपार, नीचे या ऊपर, नहर के जल-निर्गमन के लिए उचित रीति से उपयुक्त कर्मों का निर्माण करने, उनकी मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा,

(घ) नहर के उद्गम स्थान (head of the canal) या उसके समीप उपयुक्त रैगुलेटर, उचित रीति से निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने और उसके संधारण का आदेश दे सकेगा, जहां ऐसे रैगुलेटर की अनुपस्थिति में, नहर में अधिक जल आ जाने या इसे या आसपड़ोस में फसलों, भूमियों, सड़क या सम्पत्ति को हानि पहुंचने की आशंका हो।

(2) कलेक्टर, किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 37 में विशिष्ट प्रयोजनों में से एक अथवा अधिक प्रयोजन के लिए अकुशल श्रम (unskilled labour) मुफ़्त में प्रदान करने के लिए लाभधारी (beneficiary) को आदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश लिखित रूप में दिया जाएगा और उस में वह समुचित समय निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके भीतर उस में वर्णित कर्म या मरम्मतें पूर्ण रूपेण निष्पादित की जाएंगी ।

(4) यदि इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश का उस में विशिष्ट समय के भीतर कलेक्टर के समाधानानुसार पालन नहीं किया जाता तो कलेक्टर आदेश में विशिष्ट समस्त कर्मों या मरम्मतों को स्वयं निष्पादित करेगा या उनका निष्पादन पूरा करेगा या उक्त रूप से निष्पादित करवाएगा या पूरा करवाएगा ।

64. अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण और उनके संधारण से सबम्द्ध शक्तियां.—अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों की दशा में कलेक्टर—

(क) लाभधारियों से यह मांग कर सकेगा कि वे धारा 63 की उपधारा (1) में विशिष्ट ऐसे किसी दायित्व का सम्पादन करें, जो शासन उक्त नहर या नहर समूह के लाभधारियों के प्रति घोषित करे; या

(ख) उक्त कार्यों के सम्पादन का स्वयं प्रबन्ध कर सकेगा और धारा 68 में दी गई व्यवस्था के अनुसार व्यय वसूल कर सकेगा ।

65 आकस्मिक परिस्थिति की दशा में कर्म निर्माण करने और कर्मों पर कब्ज़ा करने की शक्ति.—(1) यदि किसी ऐसे नए कर्म को तुरन्त रोकने की आवश्यकता हो, जो किसी नहर की उपयोगिता के लिए घोर हानिकर हो, तो कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acqusition Act, 1894) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी भी भूमि पर तुरन्त कब्जा कर लेगा, जिसकी कर्म-निर्माण के लिए आवश्यक्ता हो ।

(2) जब कलेक्टर ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि पर कब्जा कर लिया हो तो वह इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर धारा 66 के अधीन प्रतिधन का निर्धारण करेगा तथा प्रतिधन देगा ।

(3) नहर या उसके बिल्कुल आसपड़ोस में स्थित सम्पत्ति या उस से की जाने वाली सिंचाई या सार्वजनिक यातायात को आकस्मिक और घोर हानि पहुंचाने या शीघ्र खतरा होने की दशा में कलेक्टर पूर्व सूचना देने के पश्चात्, उक्त हानि का उपाय करने या खतरा रोकने के लिए उक्त कर्मों को, जैसा वह आवश्यक समझे, उसके अनुसार पूरा कर सकेगा या पूरा करवा सकेगा और किसी भी सेचक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतना श्रम प्रदान करे, जितना कलेक्टर को उक्त कर्म शीघ्र पूरा करने के लिए उचित और आवश्यक प्रतीत हो ।

(4) इस धारा के अधीन दिए गए श्रम के लिए स्थानीय बाजार की दर पर मजदूरी दी जाएगी ।

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

66. प्रतिधन निर्धारण.—इस अधिनियम की धाराओं 23, 25, 32, 50 और 61 को छोड़ कर अन्य किसी भी धारा के अधीन दी जाने वाली प्रतिधन-राशि निर्धारित करते समय कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के उपबन्धाधीन कार्यवाही करेगा और उस अधिनियम के समस्त उपबन्ध इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जहां तक हो सके, कलेक्टर द्वारा परिपृच्छा करने तथा परिनिर्णय देने, दीवानी न्यायालयों को निर्देशन करने और तदुपरान्त प्रक्रिया, प्रतिधन विभाजन, चुकती और अपीलों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे ।

67. प्रयोग-कर्ता के अधिकार के लिये जलप्रदान के रूप में प्रतिधन.—जब कलेक्टर देय प्रतिधन राशि का निर्धारण कर रहा हो तो वह पक्षों की सहमति से किसी भूमि का अर्जन करने की दशा में यह निदेश दे सकेगा कि जब तक नहर या जल मार्ग के प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता है तब तक उक्त भूमि का स्वामित्व (property in such land) प्रयोग कर्ता के अधिकार के प्रतिबन्धाधीन स्वामी के पास रहेगा, और प्रतिधन केवल प्रयोग-कर्ता के अधिकार के लिए दिया जाएगा, या किसी नहर के अर्जन या किसी नहर के प्रयोजनार्थ भूमि के अर्जन की दशा में प्रतिधन पूर्णतया या अंशतया उस नहर से, जो अर्जित की गई हो या जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित की गई हो, प्रदत्त जल का प्रयोग करने के अधिकार के रूप में दिया जाएगा ।

68. अर्जित भूमि के व्यय या निष्पादित कर्मों के व्यय का अभिभाजन और वसूली.—(1) जब धारा 55 के उपबन्धाधीन कोई भूमि अर्जित कर ली जाती है या जब धारा 61, धारा 63, धारा 64 या धारा 65 के उपबन्धों के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेशाधीन या आदेश द्वारा कोई कर्म निष्पादित किया जाता है तो, यथास्थिति, उक्त भूमि के अर्जन का या उक्त कर्म के निष्पादन का व्यय:—

(क) यदि नहर अनुसूची 2 में समाविष्ट हो तो उसके स्वामी से वसूल किया जा सकेगा, या

(ख) यदि नहर अनुसूची 1 में समाविष्ट हो तो सेचकों से या उन में से ऐसे व्यक्तियों से, जिन्ह कलेक्टर की राय में अर्जन द्वारा लाभ पहुंचा हो या लाभ पहुंचने की सम्भावना हो या जो न्यायोचित रूप से कर्म निष्पादन के समस्त व्यय या उसके किसी अंश के लिए उत्तरदायी हों या धारा 41 के अधीन आरोपित किसी जलकर की आय में से वसूल किया जा सकेगा, और

(ग) यदि उक्त अभिभाजन अधिनियम की धारा 40 में विशिष्ट अधिकार अभिलेख के उपबन्धों के विपरीत न हो तो इस अधिनियम की धारा 39 में निर्दिष्ट निधि में से वसूल किया जा सकेगा।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धाधीन किसी भूमि के अर्जन या कर्म के निष्पादन का व्यय किसी नहर के स्वामियों या उस के सेचकों या उनमें से किसी से भी प्राप्य हो तो कलेक्टर के लिए, जैसा वह न्यायोचित समझे उसके अनुसार उक्त व्यय ऐसे समस्त व्यक्तियों में या उन में से किन्हीं व्यक्तियों में, जो उक्त समस्त व्यय या उसके किसी भाग के लिए उत्तरदायी हों, अभिभाजित करना विधिवत होगा और उक्त अभिभाजन अन्तिम होगा।

(3) जब उक्त भूमि के अर्जन का व्यय चुका दिया गया हो तो उक्त भूमि, यदि पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों सहित अर्जित की गई हो, नहर के स्वामी की सम्पत्ति बन जाएगी।

69. चक्कियों का आनियमन करने की शक्ति.—शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नहरों पर नई चक्कियों का निर्माण रोक सकेगा या उनका आनियमन कर सकेगा और नहरों पर विद्यमान चक्कियों के प्रयोग का आनियमन कर सकेगा और चक्कियां चलाने के लिए नहर के जल का अभिभाजन कर सकेगा।

70. 1953 ई० के भूराजस्व अधिनियम की धारा 14 से ले कर धारा 17 तक की धाराओं की प्रयुक्ति.—सिवाए इसके जब कि प्रतिकूल अभिप्राय अभिव्यक्त हो, हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम 1953 की धारा 14 से लेकर धारा 17 तक की धाराएं (दोनों समाविष्ट) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में प्रयुक्त होंगी।

71. लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अंतर्गत दशा को छोड़ कर दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन.—धारा 66 में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी ऐसे विषय पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, जिसका निर्णय करने के लिए कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम द्वारा अधिकृत हो या किसी ऐसे विषय का संज्ञान नहीं करेगा, जिसके सम्बन्ध में शासन या कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या द्वारा स्वनिहित शक्तियों का प्रयोग करता हो।

72. इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करने की शक्ति.—(1) शासन किसी व्यक्ति को या पदाधिकारियों की किसी श्रेणी को, ऐसे कार्य सम्पादन करने या ऐसी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जो क्लेक्टर, कमिश्नर, यदि कोई हो, फाइनैंशियल कमिश्नर या उक्त शासन में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निहित हों या उन्हें प्रदान की गई हों ।

(2) उक्त नियुक्ति किसी नहर या किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त नहरों या उनमें से किसी नहर के सम्बन्ध में की जा सकेगी ।

(3) इस अधिनियम से सम्बन्धित समस्त विषयों में शासन, फाइनैंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, यदि कोई हो, और कलेक्टर पर और फाइनैंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, (यदि कोई हो) और कलेक्टर पर और कमिश्नर, यदि कोई हो, कलेक्टर पर वही प्राधिकार प्रयोग करेगा और उन पर वही नियंत्रण करेगा जो प्राधिकार और नियंत्रण सामान्य और माल प्रशासन (general and revenue administration) में क्रमशः उन पर प्रयोग कर सकता या कर सकते हों ।

73. अधिनियम के अधीन कुछ कार्यवाहियों में कलेक्टर की शक्तियां.— इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक परिपृच्छा (enquiry) और कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ कलेक्टर को, या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य माल अधिकारी को, या शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को, पक्षों और गवाहों को समन देने और उनकी उपस्थिति बाध्य करने और उनकी जांच करने और प्रलेखों की प्रस्तुति बाध्य करने की शक्ति होगी, और इन समस्त प्रयोजनों या इन में से किसी एक के लिए, वह कोड आफ सिविल प्रौसीजर 1908 (Code of Civil Procedure 1908) द्वारा दीवानी न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियों या किसी का भी प्रयोग कर सकेगा, और उक्त प्रत्येक परिपृच्छा (enquiry) इन्डियन पीनल कोड (Indian Penal Code) के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जाएगी ।

74. स्वामियों और किसी नहर में स्वत्व रखने वाले पक्षों को कुछ विषयों में आपत्ति करने की अनुमति. - इस अधिनियम की धाराओं 6, 22, 32, 34, 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64 और 68 के अधीन समस्त विषयों में, स्वामियों और नहर में स्वत्व रखने वाले अन्य पक्षों को कलेक्टर के सन्मुख उपस्थित होने और प्रतिकूल कारण बतलाने के लिए अवसर दिया जाएगा ।

75. उद्घोषणा करने और नोटिस की तामील करने की रीति.— इस अधिनियम के अधीन जारी किए गये प्रत्येक समन, नोटिस उद्घोषणा और अन्य प्रसर की तामील, जहां तक हो सके, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 21, 22 और 23 में इस हेतु उपबन्धित है ।

76. प्रतिधन पर रुकावट, जब उसकी स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो.—उस दशा को छोड़ कर जब इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, किसी भी समय की गई या सद्भावनापूर्वक की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए प्रतिधन वसूल करने का कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा ।

77. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का बचाव—इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन की गई या सद्भावना पूर्वक की जाने वाली किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोग या अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

78. कुछ मुकद्दमों और कार्यवाहियों में राज्य शासन पक्ष के रूप में होगा.—(1) ऐसे किसी भी वाद या कार्यवाही में, जिस में धारा 40 या धारा 46 के अन्तर्गत तयार किए गए किसी भी अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्ति की जाती हो, न्यायालय वाद-विषय का अन्तिम रूप से निपटारा करने से पहले वाद या कार्यवाही की सूचना कलेक्टर को देगा और यदि कलेक्टर ऐसा करना चाहे तो शासन को उस के सम्बन्ध में पक्ष बना लेगा।

(2) **शासन के विरुद्ध अन्य वादों की रुकावट.**—उपधारा (1) में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम द्वारा उक्त कलेक्टर या शासन को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय कलेक्टर या राज्यशासन के आदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य के सम्बन्ध में शासन के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं चलाया जाएगा।

79. माल-प्रसर (Revenue process) द्वारा जल के लिए देय राशियां (water-dues) और अन्य राशियां वसूल करने की शक्ति.—इस अधिनियम के उपबन्धाधीन या नहर के स्वामियों या नहर के सेचकों के बीच किए गए किसी निर्बन्ध के अधीन किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय प्राप्य या किसी भी व्यक्ति से एकत्रित की जाने वाली जल के लिए देय समस्त राशियां, जलकर और अन्य चुकतियां और उनके के समस्त बकाया भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किए जा सकेंगे।

80. हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अंशतः बाहिर स्थित नहरों, और उपनदियों के सम्बन्ध में शक्तियां.—किसी नहर, नदी या उपनदी के सम्बन्ध में शासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोग में लाई जा सकने वाली समस्त या कोई सी शक्तियां, ऐसी नहर, नदी या उपनदी, जो किसी भी समय अंशतः हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के भीतर और अंशतः बाहिर स्थित हो या अंशतः भीतर और अंशतः बाहिर स्थित हो जाएं, की दशा में, और उक्त नहर, नदी या उपनदी के उतने भाग के सम्बन्ध में, जितना उन सीमाओं के भीतर स्थित हो उक्त शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी, और उक्त किसी नहर नदी या उपनदी के सम्बन्ध में राज्यशासन धारा 2 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि इस अधिनियम के कौन कौन से उपबन्ध उन के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे।

81. हिमाचल प्रदेश से बाहिर स्थित नहरों के सम्बन्ध में अत्यावश्यकता होने की दशा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली शक्तियां.—हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहिर स्थित किसी भी नहर के सम्बन्ध में शासन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 65 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, उस में विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा उक्त नहर के समस्त या किसी भी प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के भीतर प्रयोग में लाई जाएंगी।

82. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध .—जो कोई भी उचित प्राधिकार के बिना और स्वेच्छा पूर्वक निम्नलिखित कोई सा कार्य करता है, अर्थात् —

(1) किसी नहर को हानि पहुँचाता है, उस में आपरिवर्तन करता है उसे बढ़ाता है, या उस में बाधा डालता है ;

(2) किसी नहर के जल-प्रदाय या किसी नहर से, नहर में, नहर पर या नहर के नीचे, जल प्रवाह में हस्तक्षेप करता है, उसे बढ़ाता है या कम करता है ;

(3) किसी नदी, उपनदी या सरिता के जल प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप करता है या उस में इस प्रकार आपरिवर्तन करता है, जिस से किसी नहर को हानि पहुंचने का डर हो या उस की उपयोगिता कम हो जाए ;

(4) किसी जल मार्ग के संधारण या जल मार्ग के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हुए उस से जल नष्ट होने की रोक थाम के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय करने में प्रमाद करता है या उस से जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करता है या अप्राधिकृत रीति से उक्त जल का प्रयोग करता है ;

(5) किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करता है या इस में इस प्रकार कपट करता है, जिस से उन प्रयोजनों की उपयोगिता कम हो जाए, जिस के लिए साधारणतया वह उपयोग में लाया जाता है ;

(6) इस अधिनियम के अधीन श्रम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उचित कारण के बिना ऐसा श्रम प्रदान नहीं करता, जो उस से अपेक्षित हो या श्रम प्रदान करने में सहायता नहीं करता ;

(7) इस अधिनियम के अधीन श्रम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उचित कारण के बिना, उक्त रूप से श्रम प्रदान करने में और श्रम प्रदान करते रहने में प्रमाद करता है ;

(8) किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा नियत जलमापन त्र के तल चिन्ह को नष्ट करता है या हटाता है ;

(9) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल किसी भी नहर के कर्मों (works) से या नहर के किनारों से या नहर की कूलों से पशुओं या गाड़ियों को ले जाता है या स्वयं जाता है, जब कि वहां पर उसको ऐसा करने की मनाही की गई हो ;

(10) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश या उद्घोषणा की अवज्ञा करता है या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है ;

ऐसी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, जो राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निदेशित किया जाए, पचास रुपए तक के अर्थदन्ड या एक महीने तक के कारावास या दोनों का भागी होगा।

83. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति.—लोक-सेवकों या पंचायत सहित किसी स्थानीय संस्था द्वारा प्रबन्धित नहर की देख रेख करने वाला व्यक्ति या उस पर वृत्ति युक्त व्यक्ति नहर की भूमियों या भवन से ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या वारन्ट के बिना हिरास्त में ले सकेगा और तुरन्त किसी मैजिस्ट्रेट या सब से समीप की पुलिस चौकी में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में विधि अनुसार संव्यवहार करने के लिए ले जाएगा, जिस ने उस के विचार में निम्न लिखित अपराधों में से कोई अपराध किया हो :—

(1) किसी नहर को जान बूझ कर हानि पहुंचाई हो या उस में बाधा डाली हो ;

(2) उपयुक्त प्राधिकार के बिना किसी नहर, नदी या सरिता, के जल प्रदाय या जल प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप किया हो, जिस से किसी नहर को खतरा या हानि पहुंचने का भय हो या उसकी उपयोगिता कम हो गई हो।

84. धारा 82 और 83 के प्रयोजनार्थ नहरों की परिभाषा.—धारा 82 और 83 में शब्द "नहर" (जब कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो) के अन्तर्गत समझा जाएगा—नहरों के प्रयोजनार्थ कब्जे में ली गई समस्त भूमि और उक्त भूमियों पर स्थित समस्त भवन, मशीनें, जंगले, दरवाजे और अन्य रचनाएं (erections), वृक्ष, फसलें, पौदे या अन्य उपज।

85. नियम बनाने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम द्वारा शासन या शासन के किसी पदाधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति से सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन करने के लिए और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजन पूरे करने के लिए, शासन इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में, रेत या बाढ़ से भूमि का बचाव करने के विचार के प्रतिफल रूप उक्त भूमि पर एक कर लगाने करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए समस्त नियम उक्त रूप से तब ही बनाए जाएंगे जब उनका राजपत्र में पूर्व प्रकाशन हो चुका हो।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के विकास से सम्बन्धित योजनाओं का सुचारू रूप से संधारण और प्रबन्ध की व्यवस्था करना है। पुनश्च इस विधेयक में शासन द्वारा किए गए समस्त पूंजी व्यय या उनके भाग की प्राप्ति और संधारण-व्यय जुटाने के लिए पर्याप्त धन राशि और जल-करों की व्यवस्था की गई है।

गौरी प्रसाद

बन्सीधर शर्मा
सचिव।

Printed and published in India by the Manager H.P. Govt. Press Simla-3